Shri Hari Vishnu Kamath: It says, "otherwise than on the dissolution". What does it mean?

Mr. Speaker: That does not make material difference.

Shri Hari Vishnu Kamath: It does.

Mr. Speaker: The question is:

(i) Page 1, line 10,—

for "for a period of one year" *substitute* "up to the 1st day of March, 1967". (2)

(ii) Page 2, line 2,—

for "expiration of the said period of one year" *substitute*- "1st day of March, 1967".

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri G. S. Pathak: I move:

"That the Bill, as amended, be passed".

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

12.41 hrs.

MOTION RE: STATEMENT OF HOME MINISTER ON REORGANISATION OF THE PRESENT STATE OF PUNJAB—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 12th May, 1966, namely:—

"That this House takes note of the statement made in the House by the Minister of Home Affairs on the 18th April, 1966 regarding the reorganisation of the present State of Punjab."

Shri Gajraj Singh Rao may continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): How much time remains?

Mr. Speaker: Out of 3 hours, 1 hour and 30 minutes have been spent and 1 hour and 30 minutes remain.

Shri Hari Vishnu Kamath: When will the Minister reply?

Mr. Speaker: How long will the Minister take?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): About 15 minutes.

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिन यह अर्ज कर रहा था कि हरियाना की तमाम पार्टिया, बिली लिहाज कौम व मिल्लत और तमाम पब्लिकमेन ने इस स्टेटमेंट का स्वगत किया और आज करते हैं। हर स्टेज पर पार्लियामेन्टरीर कमेटी की फाइंडिंग का स्वागत किया गया, और इसका सबूत यह है कि शायद ही किसी भी पब्लिकमेन की या किसी भी पब्लिक प्रेस की आवाज हरियाना के खिलाफ उठी हो। सारे एम० पीज० भी, चाहे वह अपोजिशन के हों या इस तरफ के इस चीज के हक में है। इस में ज्यादा किसी और सबूत की जरूरत इस बारे में नहीं है।

[श्री गजराज सिंह राव]

यहां पर कहा गया कि वीकनेस के तौर पर यह स्टेटमेंट दिया गया, कमजोरी की हालत में दिया गया । दूसरों की तरफ यह बात कही गई कि यह ऐन्टी नैशनल है यह कम्यूनल चीज है, जिस के सामने सिर झुकाया गया। अगर आप वाकयात का तवारीख का मुलाहजा फरमायें तो यह बात गलत है सन् 1929 में पहली दफा कमेटी बनी थी जिसके पंडित ठाकुर दास भार्गव, मि० आसफ अली लाला देशबन्धु गुप्त और मैं मेम्बर थे। उस ने कहा था कि हमारे इस इलाके को जिस को दिल्ली के गदर की सजा दी गई थी, अलाहदा किया जाये । क्या उस वक्त यह अकालियों की आवाज थी । उसी वक्त से यह आवाज चली आ रही है और सन् 1954 में मैं ने इस इलाके की तरफ से स्टेट्स रिआगेनाइजेशन कमिशन के रूबरू मेमोरैन्डम पेश किया, जिसमें कुछ शहादत भी दी । आज यह नुक्ताचीनी की जा रही है कि मा० तारासिंह की मांगें के ऊपर यह किया जा रहा है । मैं मा० तारासिंह का अदब करता हूं लेकिन जो स्टेट्मेंन्ट मा० तारा सिंह करते हैं क्या उस को उसी तरह से मंजूर किया जायेगा मानों गवर्नमेंट वह स्टेट्मेन्ट कर रही है । हमारी गवर्नमेंन्ट ने तो वह स्टेटमेन्ट नहीं दिया । गवर्नमेन्ट तो सिर्फ जो उसूल मान लिया गया था कि जबान की बिना पर सूबे बने और अगर कोई डिस्क्रीमिनेटरी बात हमारी गवर्नमेंन्ट या होम मिनिस्टर करे तो बुरी बात है, इस को कर रही है । म अर्ज करूंगा कि इस तरह से एक सही चीज, दानिशमन्दाना महायता की बात और जायज बात की जा रही है जो कि देश के हित में है । इस लिये इस की जो नुक्ता चीनी की गई, या जो तहरीक लाई, गई वह ज्यादा नुकसानदेह है देश के लिये और देश के कामों के लिये और ऐसा नहीं करना चाहिये । मैं बहुत मशकूर हूं कि होम मिनिस्टर ने इस चीज को निहायत अच्छी तरह से सुलझाया ।

अब सवाल यह है कि यहां नुक्ता चीनी की जाती है और 1961, 1931 की, 1921 की या किसी और मर्दुमशुमारी की बात कही जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि हायेस्ट लेवेल पर बाउंडरी कमिशन बना जिस के टर्म्स आफ रिफरेंस में बहुत सी चीजें रक्खी गई । 1961 की आबादी, जियोलोफिजिकल जिआग्रेफिकल वगैरह फैक्टर्स जो थे उन को मद्दे नजर रखते हुए सारा काम किया गया । वह कमिशन हायेस्ट लेवेल पर था और मैं तो कहूंगा कि वह जुडिशल कमिशन के बराबर है । हरियाना की जो साहब पूरी वाकफियत रखते हैं वह इस कमेटी पर थे और उन्होंने पूरा मौका दिया तमाम पब्लिक बाडीज को और तमाम मेम्बर साहबान को कि वह अपना सारा नजरिया पेश करे जिस में कि वहां पर सही तरीके से पूरा डिस्कशन हो सके । मुझे से तो कम से कम एक साहब ने जो कि कुछ और नजरिया रखते थे, कहा कि वहां जुडिशल तरीके पर शाहदत सुनी जा रही है और गौर किया जा रहा है । किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं है कि इस काम में जल्दबाजी हो रही है । में अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज सही है ।

सवाल है प्रिंसिपल का । मैं ने अर्ज कर दिया कि जब एक प्रिंसिपल माना हुआ है और उस प्रिंसिपल की बिना पर यह चीज की जा रही है तो उस से होगा क्या । इसी उसूल की बिना पर गुजरात और महाराष्ट्र सूबे बने तब क्या हो गया । उन में क्या बुराई चली गई, या आंध्र में ऐसा हुआ तो क्या हो गया । आज इस चीज को करने से जो बुराई नहीं होती वह जिस तरीके पर यह तहरीर पेश की गई उस से पैदा हो सकती है, और हो रही है ।

आज हरियाना के बारे में मुझे यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि सन् 1857 में गदर के समय जो पहली आजादी

की लड़ाई हम ने लड़ी, उस के बदले में हमें यह सजा दी गई। जो लोग मुतहदा पंजाब के हुक्मरां थे उन्होने अंग्रेजों की मदद की थी। हमें सजा के तौर पर यहा रक्खा गया। बड़े बड़े माहिरीन अंग्रेजों ने माना है कि हम को सजा के लिये यहां रक्खा गया। इसी तरह से आगरा और मेरठ डिवीजनों को अलहदा किया गया क्योंकि वहां से गदर की शुरुआत हुई थी। आगरा और अवध को अलग अलग किया गया क्योंकि अवध के नवाब ने उन लोगों की मदद की थी। लेकिन इस सजा को तो हम सूद दर सूद के भुगत चुके हैं। 3 फी सदी सूद, 6 फी सदी सूद, सब कुछ तो हो गया। अब अगर नन्दा साहब ने उसे माफ कर दिया तो क्यों इस मे किसी को तकलीफ होती है। हम तो 10 फी सदी ब्याज दे चुके हैं और 110 साल हो गये हैं। मैं तो अर्ज करूंगा कि उन लोगों को हमारे साथ हमदर्दी होनी चाहिये थी और वह हमदर्दी यह होनी चाहियें थी कि पंजाब का लिग्विस्टिक बटवारा हो। वह हमारी मदद करे और सही तौर पर हम को जो हमारा हक हो उसे वापस दिलवा दें। हमें वह फालतू न दिलवायें लेकिन जो हमारा बनता है वह हमें दिलवा दें।

श्री त्यागी (देहरादून): आप तो यू० पी० की जेब कतरना चाहते हैं।

श्री गजराज सिंह राव: हम यू० पी० की जेब नहीं कतरना चाहते। यू० पी० दिल्ली का जो घाटा कर रहा है हम उस को पूरा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने आगरा और मेरठ में आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन की तवारीख को मुलाहयजा फरमायें कि उन को किस के हवाले किया गया था। आज भी उन के साथ क्या हो रहा है इस को देखिये। हमारे पास वह डाकुमेंन्ट भी है जिस में कि 122 एम० एल० एज ने कहा था कि हम यू० पी० में नहीं रहना चाहते, हम पंजाब में रहना चाहते हैं। तो मुझे ज्यादा नहीं अर्ज करना है। यह कहा कि यह एक ब्लैक लेटर डे होगा, पर मैं कहूंगा कि यह रेड लेटर डे होगा कि जहां इन्साफ किया गया और इन्साफ के साथ सारी कार्यवाही हुई। अब यह सब उनको ज्यादा पता होगा। अपनी हालत पर हम ज्यादा जानते हैं। मैं तो यही बात कहूंगा:

मनआनम कि मनदानम शुमाहजरनिकूनेद।

हम अपनी हालत खुद जानते हैं, खुद ही ज्यादा बता सकते हैं, आप अन्दाज न लगाइए।

जुबान की बात कही। महात्मा गान्धी ने विश्वास दिलाया हमारे जिले में घासेड़ के मुकाम पर पब्लिक मीटिंग में, मुसलमानों को रखना चाहते थे तो कहा कि तुम्हारी जुबान की हम कद्र करेंगें और तुम्हारी जुबान कायम रहेगी। तो मुलाहिजा फरमाइये कि रीजनल फारमुले में उर्दू गुड़गांव जिले के लिए जबान रखी गई। उसका क्या नतीजा हुआ? उन लोगों ने खुद हिन्दी में अपना सारा कामकाज करना शुरू किया। अगर वह चीज नहीं होती कि नहीं यह नहीं होगा तो एक एजीटेशन का माहोल बनता। लेकिन अब वह कहते हैं कि नहीं हम अपने भाइयों के साथ हिन्दी पढ़ायेंगें हालांकि कानून उनको उर्दू पढ़ने की इजाजत देता है। तो इस नीयत से मैं शास्त्री जी से अर्ज करूंगा कि आप हिन्दी की बात करना चाहते हैं तो उन भाइयों से मिशिनरी स्पिरिट से काम लीजिये। पढ़ाइए, लिखाइए, गुड़गांव की मिसाल आपके सामने मौजूद है।

त्यागी साहब जो बहुत फरमा रहे थे तो मैं अर्ज करूंगा कि प्रिवी कौंसिल के जजमेंट में कस्टम आफ ओल्ड डेलही टेरीटरी का जिक्र है जिसमें आगरा और मेरठ डिवीजन भरतपुर, अलवर और दिल्ली यह सब शामिल हैं। तो हरि को तो आना है, हरियाना है यह, आज नहीं तो कल होगा। जो एक साथ के हैं वह एक साथ जायेंगे। गुमनामी

[श्री गजराज सिंह राव]

में रखने की बात करोगे तो कब तक रहेंगे ? निओ कालोनिअलिज्म बनाने की बात करेंगे तो भी वह नहीं रहेंगे । हम प्यार और मुहब्बत से चाहे शास्त्री जी को, चाहे त्यागी जी को जीतेंगे । प्यार और मुहब्बत से जीतेंगे । हम वह करतूत नहीं करेंगे जो पानीपत में हुई। उसके लिए हम माफी चाहते हैं ।

जहां तक बाउन्ड्री कमीशन का सवाल है मैं पहले भी अर्ज कर चुका, वह एक जूडिशियल लेवेल पर, हायेस्ट लेवेल पर काम कर रहा है । तमाम मेमोरेंडम आये हुए हैं, आप भी कीजिये, वहां फैसला हो जायगा । आज 31,32 और 26 और 61 इन चीजों के कहने की गुजायश नहीं है । मैं यही अर्ज करूंगा कि यह चीज मुन्सिफाना तौर पर हुई है और उसमें हम जितनी भी इस तरह की बातें करेंगे, तो जो हो चुका है उसमें हम खराबी पैदा कर सकते हैं और मैं निहायत अदब के साथ, संजीदगी के साथ शास्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस मोशन को वह वापस कर लें । इससे बहुत ज्यादा उनका भाव है तो उनको और ज्यादा तकवीयत मिलेगी कि आप दरियादिली से काम कर रहे हैं और किसी भाई को थोड़ा बहुत ज्यादा देकर भी नुकसान नहीं उठा रहे हैं । जहां तक सवाल है बाउंड्री का वह भी हो जायगा । कमीशन है, उसके सामने सही इन्साफ के साथ दलील जो कुछ होगी वह गौर कर ली जायगी । मैं उस स्टेमेंट को फिर बेलफम करता हूं और मैं अर्ज करता हूं कि उसके अमेंडमेंट और लायबिलिटीज की आबजेक्टिव साइड जो बनती है नन्दा साहब उस पर भी ख्याल फरमायेंगे और मेम्बर साहबान भी यहां उस मुसीबतजदा हरियाने की मदद करेंगे ताकि वह भाई अपनी तरक्की कर सकें जो इतने साल से रुकी हुई थी । अन्त में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): I am sorry my hon friend Shri Prakash Vir Shastri made a speech while introducing this motion, which was rather unfortunate. It was a kind of speech which makes one understand why and how communalism among a section of the Sikhs who seem to be led at the moment by Master Tara Singh has been sustained for so long. I found him rather late in the day expressing himself against the rightfulness of the Punjabi Suba demand. And what was distressing was that he even reflected prejudicially on the Parliamentary Committee's composition and its work.

But I think that all recriminations should be left behind at this present moment when Government have come forward even though at long last to concede the legitimate and rightful demand of the brave people of the Punjab for a State of their own where their own language would really be cherished at the State level as well as in their personal lives.

We owe it to ourselves to recall the great services rendered to our country by the people of the Punjab, and specially the Sikhs; I do not hesitate to mention them separately with special emphasis because in the history of our struggle for freedom, they have taken a pre-eminent part. I remember how in 1872, on the 17th of January, 65 Kookas were blown to pieces by British guns at Malerkotla; I remember the work of the Gaddar Babas in this country as well as abroad. I recall the story of Komagata Maru and then the work of the Sikhs and other Punjabi stalwarts during the Gandhi age. I know also how with the new qualitative changes which have taken place in the political sphere, when communism and socialism are very much on the map, the people of the Punjab, specially among the Sikhs, have come forward and championed those ideas. For so long, the country had withheld from Punjab certain rights which were legitimately theirs, and it is only fair now that Punjab should have its own

State, and now that Government have come forward with that idea, surely we should welcome it, and we should see that the implementation of the policy of Government is conducted in a manner which would really bring about a harmonious solution, as far as that is possible, of all the conflicts in this region.

In the Parliamentary Committee which functioned under your guidance, we have tried to arrive at the greatest common measure of agreement, and I refer to this because I am quite inclined to share many of my hon. friend Shri Surendranath Dwivedy's ideas about how this process of reorganisation in the Punjab region should have taken place. I think that there were other desirable things which perhaps we should have done if we had the wherewithal at the present moment to do so. Perhaps it would have been best if we had a Hariana State with Delhi as part of it, very probably as its capital, and New Delhi might have been scooped out to become a Centrally administered area. A Hariana Pranth to be really worth what it should be might also desirably have included some chunks from UP, like Meerut and perhaps even a few areas from other nearby regions, but because we have functioned in the parliamentary committee in a manner so that the maximum possible agreement would not be distorted, and because we wanted that the greatest common measure of agreement should not be distorted, I did not give expression to any of those broad ideas which my hon. friend has given expression to.

Shri Tyagi: In that case, the partition of Bengal also could be taken up.

Shri H. N. Mukerjee: If at the present moment we can let sleeping dogs lie, if today problems which are not likely to crop up in a very acute form remain more or less, if we can carry on without stirring something like a hornet's nest in this part of the country, we better do so, because the predominant objective at the present moment is to have a Punjabi-speaking State, and naturally, and necessarily as a consequential measure, Hariana with its separate Hindi-speaking areas would have to be constituted.

13 hrs.

In regard to the hilly regions like Kangra, for instance, I have heard different views about whether they should be in Punjab or should go to Himachal Pradesh. But I discovered in the Committee how there was almost unanimous—why almost?—unanimous pressure of opinion from the people who inhabit those areas that Kangra should become part of Himachal Pradesh. Therefore, having discovered the feelings of the people in that regard, I did not put in a separate note of dissent in order to indicate what was my information earlier, that Kangra perhaps ought to be in Punjab.

Here again is a problem which requires to be looked into by the Commission, but I do hope that that would not impede and delay the work of the Commission. I am insisting on the desirability of rapidity in the completion of the work of the Commission. There would be problems of implementation of the policy of Government. But let the Commission, whose job is to demarcate boundaries, do its work as quickly as ever that is possible.

In regard to the language question and the principle of division, the Parliamentary Committee has laid down that the Committee was agreeable to the Punjabi and the Hindi regions already demarcated under the 1957 agreement being taken as the basis. There should be some necessary adjustments. My hon. friend, the Minister, has referred to the census of 1961 as the basis, and he has also, happily, referred to other considerations would be taken into account by the Commission. He has not asked the Commission to rely entirely and exclusively on the 1961 census. But what I find in the House is that one side idea is put forward that the 1961

[Shri H. N. Mukerjee]

census should be disregarded altogether—that is the point of view of several members, particularly the Sikh members who have spoken in the House. There is another view that the 1961 census alone should be the criterion—that is a point of view of several members including my hon. friend, Shri Siddhanti. However, my feeling is that it is better, since in 1957 we did have a division into Punjabi and Hindi regions, to take that as the major criterion. I am not suggesting that the 1961 census should be disregarded altogether. After all, it is an official job done by specialists and it should not be disregarded, but at the same time, it is absolutely clear that in the 1961 census there was a lot of hocus-pocus, there was a lot of statements made by people who were motivated perhaps because of a certain kind of propaganda, statements which were not true, statements in regard to their language not being Punjabi but of being Hindi. I have been astonished to hear some Members trying to argue in this vein; it was Shri Puri over there who argued the other day that one has a fundamental right to declare one's choice as to which one is one's mother language. I do not know. I have not got a fundamental right to speak an untruth. That cannot be a fundamental right. What is my mother tongue is an ascertainable thing. The language I learnt at my mother's knee is my mother language, no other. If Punjabi is my mother language, if that is the language I learnt at my mother's knee, that is my mother language, and I have no business, I have no right, fundamental or non-fundamental, to choose some other language and call that my mother language. I may adopt Hindi or any other language for that matter, but I have no business to call that my mother language. There is a very well known scholar in our country, Kaka Kalelkar, who writes in Hindi and gets prizes because he writes books in Hindi. But surely his mother language is not Hindi. There are people here who speak broken English, but their mother language is not English. It is a shameful thing. It is a matter of shame that so many of our people, on account of political reasons, chose to give as their mother language a language which is not their mother language. This thing has happened, particularly in relation to the 1961 census.

That is why I say that we should not depend too largely on the 1961 census. I do not say disregard it altogether, as some of my friends do. It is there, it is on the map, you cannot entirely ignore it; at the same time, take the 1957 demarcation between the Punjabi and Hindi regions as the demarcation which ought to be taken as the standard and make whatever necessary adjustments are called for.

Some members have spoken about the desirability of a common High Court, a Joint Board for electricity and irrigation or a Public Service Commission which might be joint. If there could be a consensus in regard to these matters, if we could economise on these matters, well and good. Let us try and create a harmonious atmosphere, and that is what is needed most of all. That is why I am pleading for friendly understanding and a cordial atmosphere.

13.06 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

We are all Indian nationals and there should not be too much of a worry over some people having to live in a region where the major section of the people speak a language which is not that of that minor section. That kind of thing will happen all the time. Let us have a demarcation done on the basis indicated by the Parliamentary Committee. Take the 1957 division of the Punjabi and Hindi regions as the criterion.

Therefore, I am expecting that as soon as ever it is possible we shall

have carved a Punjabi-speaking State and a Hariana State and we would have a Himachal Pradesh augmented to a certain extent by the inclusion of certain hill regions which are not in the Punjab. I do wish that the Commission proceeds with its work expeditiously so that whatever necessary statutory or constitutional changes are called may be pushed through and the country can write on a clean slate, cleanly and happily in a new atmosphere which at least the Minister's statement has helped to bring about.

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो प्रकाशवीर शास्त्री जी का मशकूर हूं कि उन्होंने यह सवाल पार्लियामेंट में लाया और हमें मौका दिया इस पर कुछ कहने का वैसे शायद हमें यह मौका नहीं मिलता ।

एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सवाल तो इस वक्त सिर्फ इतना था कि इस पर बहस हो जो 18 अप्रैल को होम मिनिस्टर ने बयान दिया था। मगर मेरे विद्वान मित्र शास्त्री जी ने इसमें बहुत सी बातें कह दीं। मैं ज्यादा आंकड़ों की तरफ फीगर्ज की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने कह दिया है मगर मैं एक सिद्धान्त की बात करता हूं। वैसे शास्त्री जी के कहने का ढंग बड़ा अच्छा है, भाषा उनकी बड़ी मजी हुई और लोचदार है मगर उनकी वाकफियत पर मुझे एतराज है कि उन्होंने जो बातें कही हैं हाउस में उन में वाकयात की गलती भी है और मैं समझता हूं कि इस वक्त उनको लाना भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपत्नी ने वह काम किया जो जवाहर लाल जी नहीं चाहते थे । इस किस्म के कुछ अल्फाज उन्होंने कहे है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यू रिआर्गनाइजेशन आफ स्टेट्स की बात से फूट के बीज बोया है। मैं उनकी वाकफियत के लिये कहना हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी बात के हामी थे । जवाहरलाल जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजगोपालाचार्य भी उसके हामी थे । मैं अपनी वाकफियत की बिना पर जानकारी की बिना पर कहता हूं क्योंकि मैं उस वक्त पंडित जवाहरलाल जी की वर्किंग कमेटी का मेम्बर था । मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेम्बर था । उनकी मर्जी यह थी कि पहले हिन्दुस्तानियों में हिन्दुस्तानियत आये उसके बाद दूसरी बातें आयें । इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि जल्दी लिंग-विस्टिक बेसिस पर कोई विभाजन हो हिन्दुस्तान का। मगर आप सब लोग जानते हैं कि वह हमारे महबूब नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्हूरियत के यानी डेमोक्रेसी के बड़े दिलदादा थे । वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती हो । अगर वह डेमोक्रेसी के दिलदादा न होते तो हिन्दुस्तान की जबान हिन्दी न होती बल्कि इस देश की जबान हिन्दुस्तानी होती और वह देवनागरी और उर्दू स्क्रिप्ट दोनों में लिखी जाती जो कि हमारे राष्ट्रपिता कहते थे । लेकिन चूंकि मेजारिटी उसके फेवर में नहीं थी इसलिए उन्होंने बहुमत का आदर करते हुए हिन्दी को इस देश की राष्ट्रभाषा माना और हमारे कांस्टीट्यूशन में हिन्दी जबान देश की राष्ट्रभाषा मानी गई । जब कि यह पंजाबी सूबे का सवाल चला तो पंडित जी उसके विरुद्ध इसलिए थे कि यह पहले जो उसके मांगने का ढंग था उसको कम्युनल शक्ल दी गई उस को कम्युनल समझा जाता था इसलिए वह कहते थे कि कोई लिंगविस्टक बेसिस पर बात आये तब देखा जायगा । अब हालात बदल गये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि उन को मद्दे-नजर रखते हुए पंडित जी की सुपुत्री ने पंजाब की तकसीम के सवाल को मान कर डेमोक्रेसी की मर्यादा को बिल्कुल कायम रखा है । इस हाउस में हरियाणा के मेम्बर साहबान की स्पीचिज हुई हैं । अगर हम हरियाणा, कांगड़ा और पंजाब की एक अच्छी खासी गिनती, अगर हम इन सब की राय को मिला कर देखें, तो पता चलेगा कि

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

पंजाबी सूबा अकालियों की जिद की वजह से या गवर्नमेंट की वीकनेस की वजह से नहीं बना। शास्त्री जी ने मास्टर तारा सिंह की स्पीचिज का हवाला दिया है। मैं समझता हूं कि उनकी जितनी स्पीचिज हुई हैं या उनका और अकालियों का पंजाबी सूबा मांगने का जो ढंग रहा है, उन्होंने पंजाबी सूबे के सवाल को बहुत दूर डाल दिया। लेकिन जो भाई पंजाबी सूबे के हक में नहीं थे, उनके रवैये ने पंजाबी सूबे के सवाल को बहुत नजदीक ला दिया। पंजाबी सूबा बनाने का क्रेडिट हरियाणा को जाता है, कांगड़ा को जाता है और उन हिन्दू भाइयों को जाता है, जिन्होंने अपनी जुबान पंजाबी के बजाये हिन्दी लिखाई और जो आज तक अपनी उस जिद पर कायम हैं। ये सब बातें मिल कर पंजाबी सूबे के सवाल को बहुत नजदीक ले आईं। इस सूरत में हमारे प्रधान मंत्री ने डेमोक्रेसी की मर्यादा को पूरी तरह कायम रखा और उसकी बिना पर मैजारिटी की राय का खयाल करते हुए यह मान लिया कि जिस तरह दूसरे प्राविंसिज लिंग्विस्टक बेसिस पर बनाए गए हैं, उसी तरह जुबान के आधार पर पंजाबी सूबा भी बना दिया जाये।

जहां तक 1961 की मर्दमशुमारी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि गृह मंत्री ने पंजाब की तकसीम के सिलसिले में उसके साथ दूसरे फैक्टर्ज लगा कर एक बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात पर बजिद हैं कि पंजाब की तकसीम 1961 की मर्दमशुमारी के बेसिस पर की जाये। इस बारे में प्रोफेसर मुकर्जी ने बहुत खूब कहा है और मैं उस की ताईद करता हूं। इन्सान की हर एक चीज बदल सकती है। उसकी राय बदल सकती है, उसका लिबास बदल सकता है। कई दफा इन्सान का देश भी बदल जाता है, क्योंकि अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहे, तो वह उस देश का सिटिजन बन जाता है। लेकिन आज तक यह नहीं सुना गया है कि किसी की मां बदल गई हो। अपनी माता से, अपनी मातृ जुबान से, कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

होम मिनिस्टर साहब इस बात की ताईद करेंगे कि इस एलान के बाद उन के पास एक मेमोरेंडम आया है, जिसमें यह बयान दिया गया है कि चूंकि कांगड़ा पंजाबी-स्पीकिंग है, इस लिये उसको पंजाबी सूबे में रखा जाये। इस सिलसिले में जो डेपुटेशन होम मिनिस्टर साहब से मिला, उसके साथ जाने वाले एक शख्स ने मुझे बताया कि नन्दा जी ने जवाब दिया कि मेरे पास वह मेमोरेंडम मौजूद है, जिस पर तुम्हारे दस्तखत हैं और जिसमें तुमने लिखा है कि कांगड़ा हिन्दी-स्पीकिंग है—पहले तुम कह चुके हो कि कांगड़ा हिन्दी-स्पीकिंग है और अब कहते हो कि वह पंजाबी-स्पीकिंग है। मुझे यह पता लगा है कि तब उन लोगों ने कहा कि पहले हमने गलत कहा था। मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इस बारे में कुछ कहेंगे।

माननीय सदस्य आंकड़ों और किताबों की बातों में जाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किताबों में जो कुछ भी हो, लेकिन इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता है कि 1961 में कुछ लोगों ने अपनी जुबान पंजाबी के बजाए हिन्दी लिखाई और आज वे दावा करते हैं कि पठानकोट, ऊना और खरड़ वगैरह में हिन्दी बोलने वालों की मैजारिटी है।

जहां तक पंजाबियों का हिन्दी जानने और बोलने का ताल्लुक है, मुझे एक मिसाल याद आती है। मेरे एक दोस्त आल-इंडिया रेडियो में एक बड़े अफसर थे—मैं उनका नाम

नहीं लेना चाहता हूं—, जो कि संस्कृत में बी० ए० पास थे । उन्होंने खुद मुझे कहा कि ये जो हिन्दी-स्पीकिंग लोग हैं, या जो हिन्दी के दिलदादा है, उनका यह इम्प्रेशन है कि पंजाबी हिन्दी को ठीक प्रोनाउन्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं आल-इंडिया रेडियो को छोड़ कर मिनिस्ट्री में जा रहा हूं । वह वहां पर किसी पोस्ट पर लग गए ।

माननीय सदस्य, पुरी साहब ने, बड़े जोर से कहा कि मेरी जुबान अब हिन्दी है । जो जालन्धर के रहने वाले हैं, जिन की मादरी जुबान पंजाबी है, वकिंग कमेटी के फैसले के पहले जो पूरे पंजाबी थे, अब वह कहते हैं कि उनकी जुबान हिन्दी है और वह 1961 की मर्दुमशुमारी के बेसिस को सपोर्ट करते हैं ।

इस सिलसिले में मेरी होम मिनिस्टर साहब और दूसरे लीडरों से बातें हुई हैं । वे सब मानते हैं कि उन भाइयों ने बड़ी गलती की है, जिन्होंने पंजाबी होते हुए भी अपनी जुबान हिन्दी लिखाई है । शास्त्री जी जानते हैं कि मैं हिन्दी का समर्थक हूं और हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए मैं ने पूरे तौर पर सहयोग दिया है । मगर एक बात का मुझे तजुर्बा हुआ है कि हिन्दी के समर्थकों ने जो रिजनल जुबानों पर चोट की है, उससे हिन्दी को हर तरह से नुकसान हुआ है ।

आफिशल लैंग्वेज के लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट पर जो पार्लियामेंट की कमेटी बैठी मैं उसका मेम्बर था । श्री रामास्वामी मुदालियर जैसे सुलझे हुए आदमी भी उस कमेटी के मेम्बर थे । उन्होंने पहले रोज ही शुबहा दिखाया और कहा कि जब तक इस शर्त को न उड़ा दिया जाये कि 1965 में हिन्दी हमारी अकेली राष्ट्रभाषा बन जायेगी तब तक हम इस कमेटी की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे । पन्त जी, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, बड़े धीरजवान सुलझे हुए राजनीतिक नेता थे । वह—और हम सब लोग—सोच में पड़ गए ।

इस मांग के सिलसिले में यह वजह दी गई और यह कहा गया कि अंग्रेजी को यूं ही बदनाम किया जाता है, लेकिन हम तो इसलिए फिक्रमन्द हैं कि हिन्दी या हिन्दी वाले हमारी रिजनल जुबान पर चोट करेंगे । फिर सेठ गोविन्द दास तो मान गये । उन्होंने मुझे भी मनाया । उस कमेटी में टंडन जी और डा० रघुवीर भी थे । वह इस मामले में जरा ज्यादा तेज थे । तब पन्त जी ने हमें अपने घर बुलाया और कहा कि इनकी जिद पूरी करो और 1965 की शर्त को उड़ाओ, ताकि आगे काम चले तब काम आगे चला । पन्त जी की नीति की वजह से उस कमेटी की रिपोर्ट भी तकरीबन यूनैनिमस हुई । उसमें किसी साउथ वाले ने अपना नोट आफ डिसेंट नहीं दिया । हिन्दी वालों में से शायद किसी ने दिया हो ।

मेरा साफ मतलब यह है कि जो लोग पंजाब के हिन्दू भाइयों को यह उत्साह देते हैं कि वे अपनी जुबान हिन्दी लिखायें, वे हिन्दी के हित के खिलाफ काम करते हैं । पुरी साहब ने कहा कि अब हिन्दी पढ़ने वाले ज्यादा हो गये हैं । उन्होंने कहा कि यह आर्य समाज की हिम्मत है । मैं समझता हूं कि वह बड़े सुलझे हुए सज्जन हैं और वह हमेशा इस हमारी बात को मानेंगे । इसी खयाल से मैं शास्त्री जी के सामने अपील के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि पुरी साहब ने कुछ फिगर्ज दी कि पंजाब में हिन्दी पढ़ने वाले स्टूडैंट्स ज्यादा हो गए हैं । लेकिन साथ ही उन्होंने अपने आप अपने बयान की यह कह कर तरदीद भी कर दी और कहा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है तो राष्ट्रभाषा तो हर एक ने पढ़नी है । इसका भाव यह नहीं कि पंजाब के हिन्दी पढ़ने वालों की मादरी भाषा हिन्दी हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें ।

श्री गु० सि० मुसाफिर : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा अहम मसला है कि अगर

[श्री गु० सिं० मुसाफिर]

आप मुझे पांच सात मिनट और नहीं देंगे तो मैं इस मजमून के साथ इन्साफ नहीं कर सकता ।

मैं अर्ज कर रहा था कि पुरी साहब ने कहा कि 1961 के सेन्सस बड़े आराम से हुए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने यह भी कह दिया कि उस वक्त अकालियों में बड़ी टेन्शन थी, उन्होंने जोर लगाया कि पंजाबी सूबा बनना चाहिये, उस टेन्शन की वजह से हिन्दू नाराज हो गये, और उन्होंने अपनी भाषा हिन्दी लिखाई । यानी जो कुछ उन्होंने पहले कहा फिर उसकी तरदीद भी उन्होंने खुद कर दी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चूंकि आपका वक्त नहीं है, इस लिये आप बैठ जाइये ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : हिन्दू और सिख हमेशा से एक रहे हैं, वे एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते । जैसे नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता, जिस तरह पानी पर लाठी मारी जाय, तो पानी जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह हिन्दू और सिख जुदा नहीं हो सकते, लेकिन अगर शास्त्री जी 1961 से हट कर 1971 की रोशनी पर चले जायें, तो वह रोशनी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकेगी, उससे हमारी आंखें चौंधियायेंगी । इसलिये मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप पीछे की तरफ जायें, जब हिन्दू और सिख एक थे । यह तो 1961 में आकर बदला है, लेकिन जितने भी पुराने हिस्टोरिक गजेटियर्स हैं, उसमें साफ़ जाहिर है कि कौन सा इलाका पंजाबी बोलने वाला था । जितने बन्दोबस्त होते थे, लैंड की कन्सोलिडेशन होती थी, उस में इसका जिक्र आता है । एक अंग्रेज आई० सी० एस० आफिसर थे—गैरिसन साहब, उन्होंने लैंग्वेज प्राबलम पर बड़ी मेहनत की थी, 9–10 वाल्यूम में उनकी किताबें हैं, उसमें एक वाल्यूम में जो पंजाबी का हिस्सा है, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कौन पंजाबी बोलने वाले थे और कौन हिन्दी बोलने वाले थे ।

शास्त्री जी को पता है कि मैंने आज से कई साल पहले, जब कांस्टीचुएंट असेम्बली बनी थी, लैंग्वेज के सवाल पर कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की एक ही जुबान रखनी है तो उसकी एक ही लिपि हो जाय । हालांकि इस बात से बंगाल वाले नाराज हुए, और दूसरे बहुत से लोग नाराज हुए थे । कल जिस वक्त शास्त्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पंजाबी किसी वक्त उर्दू या देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, तब मैंने कहा कि देवनागरी तो पंजाब में बहुत कम लोग जानते थे, सब उर्दू में लिखा करते थे, पंजाबी भी कम जानते थे, उस वक्त उर्दू में लिखते थे, तो अगर इस दलील को ठीक माना जाय तो किसी वक्त पंजाबी दिल्ली में भी लिखी जाती थी तो क्यों न हिन्दी की भी दो लिपियां मान ली जायें, और इस पर शास्त्री जी ने कह दिया कि मैं इसकी हामी भरता हूं, लेकिन इसके जो नतायज निकलते हैं उस से भी उनको बाखबर होना चाहिये क्या ऐसा वे लोगों को मनवा सकेंगे । इस लिये मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक लिपि का ताल्लुक है, इस में मेरा कोई हर्ज नहीं है, मैं पंजाबी लिखने वाला हूं, पंजाबी में लिखता हूं और वह देवनागरी में छपे– उर्दू में छपे तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाबी पंजाबी में न लिखी जाय । सही पंजाबी पंजाबी लिपि में ही लिखी जा सकती है । इसका तो गुरुमुखी नाम वैसे पड़ गया है, इससे प्रेजुडिस पैदा होता है, इससे यह जाहिर होता है कि यह गुरुओं की बनाई हुई है । यह लिपि तो बहुत पहले बनी हुई है और गुरुओं ने प्रचलित की है, और पंजाबी पंजाबी-लिपि में ही सही तौर पर लिखी जा सकती है । इस लिये मैं तो इस बात का हामी हूं और मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जोन तो पहले ही बने हुए थे, यह तो एक नया झगड़ा खड़ा हो गया है । अब खड़ा हो गया तो हो गया । हम मानते हैं, लेकिन अब तो यह बाउण्ड्री

कमीशन के हाथ में है, जो वह करेगा, उस को सब को मानना होगा । मगर यह बात कैसे हुई कि जो अकाली भाई कहते थे कि सूबा छोटा हो, वे तो अब उसको बड़ा रखने के हामी हैं, क्योंकि 1961 के सेन्सस से वह छोटा होता है, और शास्त्री जी चाहते हैं कि वह और छोटा हो जाय ।

हम हुए काफिर, तो वह काफिर मुसलमां
हो गया ।

ऐसी हालत में हम लोग जो नेशनल नुक्तायेख्याल के लोग है, इस झगड़े में हम किधर जायें, हम किस तरफ जायें ।

खुदाबन्दा तेरे ये सादालू बन्दे किधर जायें,
है अमीरी भी ऐयारी, है फकीरी भी ऐयारी ।

हम किस तरफ़ जायें ?

प्रकाशवीर शास्त्री जी कहते हैं कि कम्यूनल बिना पर पंजाब की तकसीम न हो, लेकिन दूसरी तरफ़ वह सन् 1961 के सेन्सस पर ज़ोर देते हैं, इससे तो वे कम्यूनल लोगों के हाथ में सूबा देना चाहते हैं, अगर वहां से ऐसे लोग निकल जायें जो कि अकालियों के समर्थक नहीं हैं, तो फिर सूबा ऐसे हाथों में चला जायेगा जो बिल्कुल कम्यूनल हैं । हालांकि सन्त फतह सिंह जी ने तो सीधे रास्ते पर सोचना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि उनकी डिमांड मानी गई है, चाहे वह किसी बिना पर थी, लेकिन वह पूरी हो गई, वे तो अब सीधे रास्ते पर आये हैं और ख्वाहिशमन्द हैं कि सिख और हिन्दू मिल कर सूबे को चलायें । लेकिन अब अगर दूसरी तरफ से इस ढंग से चलना शुरू हो जाये कि उस सूबे में एक फिरके का ज्यादा ज़ोर हो, वैलेंस कायम नहीं रह सकता, वैलेंस कायम इसी तरह से रह सकता है कि पंजाब का पंजाबी और हिन्दी ज़ोन इसी तरह से बना रहे, ज्यादा से ज्यादा कांगड़ा, निकालना हो तो हिमाचल के साथ चला जाय । मैं तो कहता हूं कि वह भी पंजाबी ज़ोन में रहे, लेकिन अगर उसमें नहीं रह सकता तो न हो, जितना उसमें रह सकता हो, उतना रखा जाय ।

इसलिये मैं बड़े अदब से होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 1961 के साथ जो दूसरे फैक्टर्स आपने लगाये हैं, वे बहुत काबिलेतारीफ़ हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी बाउण्ड्री कमीशन आराम से, संजीदगी से इस बात को सोचेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि बात मुनासिब ढंग से हो, मुनासिब तरीके से सूबा बने, जिससे कि वह आइन्दा तरक्की कर सके ।

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Dwivedy. Hon. Members will please take ten minutes each.

Shri Hem Raj (Kangra): The people from this side should get a chance also. Kangra people should get some chance.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (अजमेर) : समय थोड़ा रहेगा, मुझे भी बोलना है, एक घंटा समय बढ़ाया जाय, नहीं तो काम कैसे चलेगा ।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): How I wish that the House had got an opportunity to discuss this much earlier because as it is the commission which has been set up to demarcate the boundaries for these three states will complete its deliberations by the end of May and I do not think it will profit in any way by the discussion in this House or the terms of reference would be changed by the government at this stage. It is too late in the day to argue that the linguistic division of states should not have taken place. Those friends who want to raise this controversy should remember that having agreed to the linguistic distributions of states as a national policy, it was wrong on the part of the Government to deny that very right to Punjab and at long last after a great deal of delay they have agreed to this and if there has been any communal movement or element introduced in the movement, it is

(Shri **Surendranath Dwivedy**)

because of government's delay in dealing with this problem properly and gracefully. I do not want to go into detail and in my note of dissent to the Parliamentary Committee's Report I have said enough of what should be done.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Repeat that.

Shri Surendranath Dwivedy: I do not think I have time. But I will point out some of them here. I was surprised that after the appointment of the Parliamentary Committee the Government and the congress party deliberately worked to undermine this very committee which was entrusted with the task of coming to a decision regarding this very serious problem. It was a body which represented all sections and interests and it was a competent body. When the SRC was deliberating the congress working committee did not appoint a sub-committee to say, how the provinces should be demarcated. But here when our Committee was in the midst of its deliberations suddenly they appointed a sub-committee and the sub-committee said something which was ambiguous and vague and the Prime Minister said that whatever was the decision of the congress working committe will be binding on the Government. As a result of this, because there was no clarity in the resolution that was adopted and released to the press, all these unfortunate incidents happened in Punjab and other places.

Having done that, they had ultimately accepted the recommendations of the Parliamentary Committee. But the Parliamentary Committee, at the same time, had a limited jurisdiction. They had stated that the Parliamentary Committee will discuss only about the carving of this territories in the State of Punjab. The Parliamentary Committee has made its recommendation. The Parliamentary Committee has stated that some pahari-speaking area of Punjab should be attached and integrated with Himachal Pradesh. That is another territory; that is not within the State of Punjab. That has been accepted. This is good so far it goes. But I want to ask the Home Minister, when we are dealing with this problem, do you want really in this country there will be a finality on these matters, or, do you still keep the room open for further agitations in this matter of linguistic distribution of provinces and demarcation of boundaries. If a proper thought had been given to this, then probably he would have come forward with different proposals.

You will find in the statement that the terms of reference to the Commission that is going to examine this question include the following:

> "The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations."

I do not want to go into the controversy whether the 1961 census was proper or not, and whether that should be accepted or not. I do not think that is the proper thing to do at this moment, but what was the necessity to introduce all these controversies? The Parliamentary Committee itself suggested that the present regional boundaries—the Punjabi region and the Hindi region—may be taken as the basis, and that an expert Commission be appointed to adjust the area and work it out taking into consideration administrative and other reasons that may be relevant. And that position was acceptable to all sections of opinion, and if at all the demarcation is to take place, this should be on that basis. If he had not introduced this new element, probably much of this controversy would not have arisen. But he has not done that.

Secondly, I want him to consider it very seriously. What he has done is, he has asked the Boundary Commission to "ensure that the adjustments that they may recommend do

not involve breaking up of exisiting tehsils." I do not think this is a very sound principle. Because, as you know, and he is confronted with that question—the Prime Minister of India has promised that within a year or so they will come to a decision about it—that in this country, in spite of linguistic division of the States, we have quarrels between different States for boundaries: Maharashtra-Mysore, Maharashtra-Gujarat, and there are several States in which this controversy is going on, and probably in Maharashtra it has already taken the shape of an agitation. Why is all this happening even after the division of States into linguistic areas? Because there are certain linguistic groups in the border areas which probably feel that their people should have been in the other State from where they have been excluded. In all these cases Government should accept the Pataskar Formula which suggested that the village should be the unit for demarcating the boundaries of each State so that the different linguistic groups in the different areas could go to their respective places. This should have been accepted here. And this is a sound principle by which all this controversy, wherever they may be raised now, could be avoided. They should accept that. But the Government has not done that. I think the Minister should seriously consider whether this policy should not be adopted.

Then, it has been clearly stated in the statement that this new State should come into being by the 1st October. All that we demanded is, and there was a popular demand also, that before the general elections these new States should come into being. It is all right so far as that goes, but, at the same time, I want to join issue with him in regard to the other matter in which he has stated that so far as Hariana is concerned,— in the end of his statement he has stated—Hariana will consist of the areas that remain after having a Punjabi Suba is made and after the Hill areas go to Himachal Pradesh. The Committee has suggested that the Government should consider whether other areas should be attached to Hariana in order to make it a viable and financially strong province. There were suggestions made in the Committee—as has been suggested by other hon. friends in this House—that in order to make the Hariana province a viable State, areas such as Delhi, excluding New Delhi, and other contiguous areas in Uttar Pradesh and Rajasthan should be attached to it.

Shri Tyagi: Also Orissa.

Shri Surendranath Dwivedy: Do not be afraid of breaking up of Uttar Pradesh. I think if he resists it now, he will face a great agitation in this country. There are two other aspects which I want to urge upon the Home Minister. They are bringing forward a Bill in order to enable the hill areas to be attached to Himachal Pradesh. They are seeking to amend the Constitution. As I have stated earlier, this is good. There is an insistent demand, and rightly so, that Hariana should consist of all the rest of the contiguous areas—You may call it Vishal Hariana or Vishal Delhi or by any other name, you like and that Delhi and Himachal Pradesh and Uttar Pradesh and Rajasthan and Hariana should constitute one State. He has not considered that at all. He could have brought a Bill for this purpose. But he has stated that we are not touching Delhi and Delhi shall remain as the metropolitan capital and we are not going to touch that question or discuss that question at all.

I want to tell you that after this linguistic division is over, there is another problem facing this federal unit of India: the problem of the bigger States and the smaller States. Shri Tygri may be very much concerned about it, if anybody says that some portion of Uttar Pradesh should be attached to this or that State, but the fact remains that in the SRC Report itself this problem

[Shri Surendranath Dwivedy]

was raised and in a note of dissent, Mr. Panikkar has suggested that in a federal Government, if there are bigger States and smaller States, it will be a politically imbalanced situation. What happens? Even in this Parliament, if Uttar Pradesh, Maharashtra...

Dr. M. S. Aney: And CP.

Shri Surendranath Dwivedy: ....and Madhaya Pradesh; if all these combine, the smaller States would have no say at all.

Shri Tyagi: I agree; let it be so.

Shri Surendranath Dwivedy: If you agree, Uttar Pradesh has to be divided.

Shri Tyagi: Why?

Shri Surendranath Dwivedy: If Uttar Pradesh has to remain as a separate entity intact as it is, and yet if one says that all the States should be of equal size, then the two things cannot go together (*Interruption*). There must be equitable division.

Mr. Deputy-Speaker: We are not concerned with that now.

Shri Surendranath Dwivedy: We are very much concerned about it. This is very relevant because, when they are going to carve out a Hariana State, what I am urging is....

Shri Tyagi: On what basis do you proposes to divide Uttar Pradesh? Is it on a linguistic basis? The whole of Uttar Pradesh is Hindi-speaking.

Shri Surendranath Dwivedy: If language is to be the only basis, then, Uttar Pradesh should not remain as it is. Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan—all these should be added to it and an empire should be created for Shri Tyagi. (*Interruption*)

I do not want to go into any controversy in this matter. But when we are dealing with this matter, and when we are going to constitute new States, the Government should have given serious thought to these problems, and at the same time, find a suitable solution for them. It is good that Punjab is being made into a new State. We all welcome it. At the same time I request that all elements who are fighting among themselves for different languages, this and that, should realise this. I had made a special request, and I am glad that Sant Fateh Singh had come out with a statement saying that in the Punjab province there is no question of any particular community dominating. Even he does not want a party government; he wants a government representing all sections of the population in Punjab.

The controversy of Hindi or Gurmukhi has to be tackled. I think this would be probably solved if this Government decides once for all what would be the official language of this country. I want a clarification in this regard. If Hindi is the dominant official language of the country; what is going to be its position in different States? Is it going to have an equal status along with the provincial language or not? If that is going to have equal status, then all this controversy would not arise at all, because in the Punjabi State even those who are using Hindi in Devnagari script can continue to use it for all purposes and they will have the same right as people using Punjabi in Gurmukhi script. So, we have to decide what would be the rights of the Hindi-speaking people who are there in sizeable numbers in non-Hindi-speaking States and how their rights would be protected. If Hindi is the official language, there would be no conflict.

I hope and trust that the new States would bring about harmony in this country and all these controversies would be over for all time to come.

श्री हेमराज : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसमें उन्होंने बहुत सी टीका टिप्पणी की है। मैं कहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया उससे बजाय इसके कि पंजाब में सद्-भावना पैदा हो, मुमकिन है कि रोष पैदा हो जाये। जो हमारी कमेटी बनी थी उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष नहीं थी। उस कमेटी में सारी पार्टियों के आदमी थे, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज थीं उन सब के आदमी थे और हर एक ने अपना पक्ष वहां पर रक्खा। यही नहीं बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि हरियाना वालों ने पूरी तरह पर अपना पक्ष रक्खा। उस कमेटी के सामने चार हजार मेमोरैंडम आये और मुखातिब रिप्रेजेन्टेटिव्ज आये। जहां तक हमारे पहाड़ वालों का सम्बन्ध था, वहां पर पहाड़ वालों में से कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने मुखालिफत में कहा हो।

यह ठीक है कि पहाड़ वालों को हरियाना प्रान्त से हमदर्दी थी, लेकिन मैं जानता हूं कि यह जो दोनों स्टेट्स होंगी, चाहे वह पंजाब हो चाहे हरियाना प्रान्त हो, वह हमारी टांगें खींचेंगी। असल बात यह है कि पहाड़ वाले हमेशा बाल वाली भेड़ की तरह से रहे। उसके बाल उतारने के लिये दोनों तरफ के लोग तैयार रहे और आज भी तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने बाल हैं।

श्री हेमराज : बाल जो हैं वह भी तो नहीं छोड़ते।

श्री गु० सि० मुसाफिर : हम बाल नहीं काटते।

श्री हेमराज : आप अपने बाल रखिये। मैं अर्ज कर रहा था कि पंजाब की जो समस्या थी वह हल होने वाली नहीं थी। मैं सन्त फतेह सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने साम्प्रदायिकता से, फिर्कापरस्ती से ऊपर उठ कर भाषावार प्रान्त का मामला हमेशा के लिये सुलझा दिया। इस तरीके से जहां हमेशा के लिये हरियाना वालों को तसल्ली होगी वहां पहाड़ वालों को भी होगी।

श्री दलजीत सिंह जो ऊना से चुन कर आये हैं कह रहे थे कि पहाड़ वाले पंजाबी बोलते हैं। अकाली भाई आज 1931 की मर्दुमशुमारी की बात कहते हैं। मैं उससे पहले की मर्दुमशुमारी की बात कहना चाहता हूं। जो भी मर्दुमशुमारी हुई हैं 1881 से लेकर 1901 तक उन सब में हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के लिये कहा गया है कि यह एक हिमालयन रीजन के हिस्से हैं। पहले सिरमौर रियासत थी, मण्डी थी, सुकेत थी, शिमला रियासतें थीं, कांगड़ा जिला में चम्बा था, यह सारा पहाड़ी रीजन दिखलाया गया है। हमारे कागज मौजूद हैं 1881, 1891 और 1901 की मर्दुमशुमारी के। लेकिन उसके बाद पंजाब ने हम पर गलबा करने की कोशिश की और एक कलम से 1911 में हमें पंजाबी भाषी बना दिया। लेकिन 1931 की जो मर्दुमशुमारी हुई उसके आंकड़े भी मौजूद हैं। वह हमें 94.5 प्रतिशत पहाड़ी भाषी बनाते हैं। उसमें जो उस वक्त सेन्सस कमिश्नर थे उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि :

> "The main cause of the variation is, as already remarked in para 192, above, the return of Punjabi in place of pahari in 1921. The obvious explanation is at this census in many cases pahari has been correctly returned as the language instead of Punjabi."

चूंकि हमारे आदमी लिखे पढ़े नहीं थे। इस लिये उन्होंने एक कलम चला दिया और जिस को जैसा चाहा बना दिया। लेकिन जो असली बात है वह छिप नहीं सकती। उसके बाद जिस वक्त पार्टिशन हो गया उस वक्त सच्चर फार्मूला बनाया गया। चूंकि हमारी भाषा पहाड़ी थी और पहाड़ी भाषा संस्कृत और प्राकृत से मिलती जुलती है...

एक माननीय सदस्य : डोगरी ।

श्री हेमराज : हम पहाड़ी बोलते हैं । उसकी स्क्रिप्ट टांकरी थी । और सन् 1868 से लेकर आज तक का जो रेकार्ड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वह टांकरी और हिन्दी में मौजूद है । रेवेन्यू रेकार्ड सारे टांकरी और हिन्दी में मौजूद है और हमारी भाषा पहाड़ी लिखी हुई है । जो भाषा हम बोलते हैं उसी तरीके से लिखी हुई है, यह हाल न थे ।

इसके बाद यहां पर सच्चर फार्मूला बना चुनांचे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट यह सारे के सारे हिन्दी स्पीकिंग लिखे गये । उसके बाद सन् 1957 में रीजनल फार्मूला बना । फिर 1960 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली ने एक आफिशिल लैंग्वेज ऐक्ट पास किया और कहा कि यह इलाका हिन्दी हिन्दी स्पीकिंग होगा । चूंकि नेशनल लैंग्वेज हिन्दी हो गई थी इसलिये हमने उसकी स्क्रिप्ट देव नागरी अपना ली । लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी पंजाबी को नहीं पढ़ा । सवाल यह उठता है कि जिस चीज को दो डिकेड्स हो गई है, जिस चीज को दो डिकेड्स में हमारे बच्चों ने पढ़ा उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं । 1947 से लेकर 1967 तक के जो एक्जामिनेशन फिगर्स हैं वह मौजूद हैं । मैंने पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा कि वह हमें वह फिगर्स दे दें जिसमें बच्चों ने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिन्दी लिखवाई है और परीक्षा हिन्दी में दी है । लेकिन पंजाब गवर्नमेंट वह फिगर्स देने के लिये तैयार नहीं है । मैंने फिगर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से लेने की कोशिश की । 100 परसेन्ट विद्यार्थियों ने अपनी फर्स्ट लेंग्वेज हिन्दी में इम्तहान दिये हैं । तो मैं अर्ज करना चाहता था कि ऐसी हालत में यह हुआ है । हमारा सारे का सारा जो नेचुरल डिवीजन है वह हिमाचल के साथ एक है और हमारी जो भाषा है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो एक दूसरे से स्कूल आफ पेंटिंग है सारा का सारा हिमाचल से मिलता जुलता है । तो वाजिबी तौर पर जो पालियामेंट्री कमेटी ने फैसला किया वह दुरुस्त था और मैं तो होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपना बयान दिया है । 18 अप्रैल को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिली एरिया जिनकी लिंग्विस्टिक एफिनिटी हिमाचल से मिलती जुलती है वह उनके साथ रखे जायं । मैं इन शब्दों के साथ उसका स्वागत करता हूं और यह समझता हूं कि शास्त्री जी जो यह कहते हैं कि यह गलती हुई है, यह गलती नहीं, मैं कहता हूं कि दुरुस्त हुआ है और मैं नन्दा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा के लिए पंजाब की जो प्राबलम है उसको हल कर दिया है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 अप्रैल को जो माननीय श्री नन्दा जी ने पहली बार हरियाना का नाम लिया और जो उन्होंने साहस दिखलाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन पूरी बधाई तब दूंगा जबकि असली हरियाना जो बनना चाहिए उसको बनवाने के लिए पूरा यत्न करेंगे । तब पूरी बधाई दूंगा । अभी अधूरी है ।

अब देखिए इसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो पत्रों में आया है श्री मन्त जी का वक्तव्य, उस वक्तव्य से कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि जो पंजाब के रहने वाले हिन्दू हैं उनको किसी तरह का भय और आशंका रह जाय । वह अच्छा उन्होंने आज प्रकाश डाला है ।

मैं एक बात चूंकि श्री त्यागी जी बहुत ही भयभीत और आतंकित हैं, इसलिए उनको बताने के लिए कहना चाहता हूं कि :

"Clay seals of the Yaudheyas have been found in the Ludhiana District, while their coins have been discovered from Saharanpur to Multan. Yaudheya Coins have

been recently found also in the Dehra Dun District. Some interesting coin-moulds of the tribe have come from Rohtak. The heart of the Yaudheya territory may have been the Eastern Punjab, but they dominated also over the adjoining tracts of the U.P. and Rajputana."

श्री त्यागी : यह तो पुरानी रियासत रही।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : पुरानी रही तो अब लो नयी :

"Rohtak was the ancient 'Rohitaka' and it must have been one of the mint-places of the Yaudheyas in the province of Bahudhanyaka, which one of the two province into which the States of Rohitaka was divided, the other being Maru. Maru means desert.. it was the desert of Bagar, that it is portion of Haryana west of Rohtak-Sirsa line and adjourning the Bikaner territory."

अब तो जादू चढ़ गया सिर पर ? तो यह जो चीजें हैं इनके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1961 की जो जनगणना का सवाल है उसके ऊपर भय नहीं खाना चाहिए। मेरे बुजुर्ग हैं ज्ञानी जी, मैं हृदय से उनका आदर करता हूं। मैं उनसे निवेदन करना करता हूं कि आप इसकी चिन्ता न कीजिए क्योंकि कुछ साथ में माननीय नन्दा जी ने और भी चीज दी है। परन्तु उसको भी न देते तब भी उन को घबड़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर यह कहा जाये कि यह गणना 61 की गलत है तो मैं ऐसी जगह का उदाहरण दूं कि जहां कोई किसी तरह का ऐसा प्रश्न नहीं था। सारे पंजाब में 12930045 हिन्दू हैं। लेकिन हिन्दी बोलने वाले 1 करोड़ 12 लाख 98 हजार 855 हैं। अर्थात 16 लाख 31 हजार 190 हिन्दुओं ने पंजाबी अपनी जबान लिखायी। इसलिए हिन्दुओं पर यह आरोप नहीं हो सकता कि उन्होंने साम्प्रदायिक आधार के ऊपर अपनी जबान पंजाबी नहीं लिखायी। और जाने दो इसको। रोहतक में तो कोई भय या आतंक नहीं था। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सिख हैं 6439 लेकिन पंजाबी बोलने वाले 14302 हैं। जिला गुड़गांव में सिख है 8362 और पंजाबी बोलने वालों हैं 19270 यह हिन्दू ही तो हैं ? हिन्दू नहीं तो और कौन है ? तो हिन्दुओं ने जिन्होंने चाहा कि मेरी जबान पंजाबी है, रोहतक में रह कर के भी, गुड़गांव में रह कर के भी उन्हों पंजाबी लिखवायी। अगरचे पंजाब सतलुज और झेलम के बीच का है। पंजाब का विभाजन तो हो चुका रावी के परे परे। अब तो पंजाब नाम सतलुज और रावी का है। इधर का, नीचे का तो है ही नहीं पंजाब। हमें क्यों ख्वामख्वाह इसमें घसीटते हो ? माननीय श्री नन्दा जी को मैं इस बात के ऊपर बहुत साफ कहना , कि यह जो नीचे का भाग है इस नीचे के भाग के लिए पहले जैसे एक था उसी तरह हो। अगर यह हिन्दी के नाम पर आया है तो हिन्दी के नाम पर वह ऐसी ही चीज है जैसे उधर पंजाबी की चीज आयी है। हमें आज सन् 1957 की सजा से माननीय नन्दा जी ने बाहर निकाला है, और हमें पंजाबी के पंजे से रिहा किया है।

सन 1961 की जो जनगणना है उसमें फाजिल्का, खरड़ और ऊना के ऊपर बड़ा झगड़ा है। पंजाबी भाई खास कर के अकाली लोग या जिसमें ज्ञानी जी के साथ सिख शामिल हैं कांग्रेसी लोग, वह ये कहते कि फाजिल्का हमारा है, खरड़ हमारा है और ऊना हमारा है। तो क्या यह सम्प्रदायवाद नहीं है ? फाजिल्का सिरसे के साथ पहले मिला हुआ था, बिल्कुल कुछ पहले। ज्ञानी करतार सिंह ने एक थाना फाजिल्का के 80 से ऊपर गांव लेकर मुक्तसर तहसील में डाल दिये जिससे कि सिरसे और फाजिल्का का सम्बन्ध टूट गया लेकिन यह हिन्दी रीजन है पहले से और हमेशा से चला आया है। इसी तरह

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

खरड हिन्दी भाषी तहसील है। उसी के अन्दर चंडीगढ़ भी है। कैसे कहा जाता है कि वह पंजाबी भाषी है या पंजाब के अन्दर है? अब रहा ऊना, तो सर छोटू राम का जिस दिन स्वर्गवास हुआ उससे एक दिन पहले उन्होंने भाखरा बांध का जो आयोजन था, उसके ऊपर हस्ताक्षर किये थे। भाखरा बांध का पानी और बिजली विशेषतया हरयाने के लिए किया गया था लेकिन आज वह चीज नहीं रही। इसलिए वह चीज हरयाने में आनी चाहिए। तो मैं श्री नन्दा जी से प्रार्थना करूंगा कि बिजली और पानी इनके ऊपर सेंटर का बोर्ड हो और उसमें उनके नुमाइन्दे भी हों, हमारे नुमाइन्दे भी हों जिससे हमारा हक हमें मिले और उन भाइयों का हक उनको मिले। यह चण्डीगढ़ तो हमारी राजधानी है। पंजाबियों ने तो अपनी राजधानी पटियाला बना लिया था और उनके पास जालन्धर और अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहर हैं। लेकिन हमारे यहां कोई शहर नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ हमारी राजधानी होनी चाहिए और जो हिन्दी रीजन की ही है।

और ऊना इसी तरह से जो हिन्दी भाषी है क्योंकि इसके अन्दर भाखरा बांध है और नंगल प्रोजैक्ट है तो वह हमें हरयाना को मिलना चाहिए।

एक चीज मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि हमें कोई चीज साझे की नहीं चाहिए चार भाइयों की एक माता हो और चार भाइयों में रहना चाहे तो उसकी दुर्गति होगी। कोई नहीं उसकी सेवा करेगा। इसलिए न हम हाईकोर्ट एक चाहते हैं, न सर्विसेज एक चाहते हैं और न गवर्नर एक चाहते हैं। हर चीज हमारी बिल्कुल अलग अलग, दो घरों का जैसे बटवारा होता है, वैसे होनी चाहिए। और हमारा हाईकोर्ट जो है देलही का किया जाय। इसमें क्या बात है? देलही का हाईकोर्ट हमारा हाईकोर्ट बने और देलही का जो पुराना क्षेत्र पहले था, नन्दा जी साहस करें हमारी जितनी आने वाली नस्लें हैं वह उन्हें बधाई देंगी कि एक आये थे नन्दा जी जैसे गृह मन्त्री कि जिन्होंने हरयाना वालों का जो पुराना मामला लटका पड़ा था, दिल्ली भी दे दिया और वहां से लेकर देहरादून और यह सब . . . (व्यवधान)

श्री त्यागी : जमुना पार मत करना।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यह सब मैं अभी जो सुना चुका हूं, वह सब हमारे साथ होने चाहिए। उस दिन हमारा पूरा हरियाना बन जायगा। . . . (व्यवधान) . . . मेरे कानों में त्यागी जी की कोई बात नहीं आती और मैं यह कहता हूं कि यह राष्ट्र का सबसे मजबूत गढ़ होगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है और अब भी डोगराई के मोर्चे पर हमारे इस इलाके के जवानों ने जो बहादुरी दिखलायी वह सबूत है कि राष्ट्र की रक्षा तभी हो सकती है कि जब कि दिल्ली और जितना भाग यू० पी० और राजस्थान का मैंने बतलाया है, वह सब मिला कर एक विशाल हरयाना बनाया जाये। परमात्मा दया करे कि नन्दा जी इतना साहस दिखायें और विशाल हरयाना बनायें।

अब जो मेरा संशोधन है उसको मैं पढ़ दूं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।

14 hrs.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश का बंटवारे पर बंटवारा होता चला जा रहा है और यह उस समय हो रहा है जबकि देश की सीमाओं पर पाकिस्तानी और चीनी मंडरा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी सरकार ने वोटों के लोभ में आकर कि पंजाब के वोट किस तरीके से प्राप्त किये जायें, हरियाणा के वोट किस तरीके से प्राप्त किये

जायें, हरियाणे की आशंका उन को बड़ी थी इसलिए उन्होंने यहां पर रातों रात अचानक गौर करने के बाद एक बैठक बुला कर उसमें तुरन्त पास कर दिया कि पंजाबी सूबा बनाया जाना चाहिए । क्या नेहरू जी या और औरों को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं थी कि यह 18 साल से पंजाबी सूबा क्यों नहीं बना ? लेकिन यह सरकार की वोटों को हासिल करने की कमजोरी थी जिसके कि कारण आज पंजाबी सूबा बना कर खड़ा किया जा रहा है ।

जहां तक जनसंघ का इस पंजाबी सूबे की मांग के बारे में सवाल है वह सिद्धान्त रूप से इसके विरुद्ध है । जनसंघ समझता है कि इससे हिन्दु व सिखों में अलगाव की भावना बढ़ेगी जो कि देश के लिए अहितकर सिद्ध होंगी । जनसंघ कभी भी हिन्दुओं और सिक्खों को अलग अलग नहीं मानता, वह उनके बीच कद नहीं मानता और न ही बर्तना चाहता है । वह हिन्दू और सिक्खों दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहता है । कभी भी वह उनकी आपस की फूट को नहीं देखना चाहता । जनसंघ इस बात के सख्त विरुद्ध है कि यह पंजाबी सूबा भाषायी आधार पर बना कर दोनों के बीच एक दरार पैदा की जाये । वह दोनों के बीच में इस तरह एक दरार पैदा करने का विरोधी है । दरअसल कांग्रेस इसके आधार पर वोटों को हड़पना चाहती है ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा होना है तो हमारे यहां तो प्रत्येक तीन, तीन और चार, चार मील पर भाषाएं बदलती जाती हैं । अगर भाषा के आधार पर किया जाये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्य चार, चार और पांच, पांच टुकड़ों में विभक्त हो सकते हैं और परिणामस्वरूप यह देश इतने अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा कि यह देश छिन्न भिन्न हो जायेगा और कमजोर पड़ जायेगा । सरकार ने इस देश को क्या सीमेंट समझ लिया है कि जिसे चाहा उठा कर बोरे दे डाले? सरकार को इस तरह से इस देश की सदा से चली आ रही सार्वभौमिक एकता व अखण्डता को नष्ट नहीं करना चाहिए चूंकि जनसंघ देश की एकता में विश्वास रखता है और उसको विघठित नहीं देखना चाहता इसलिए आपने देखा कि जब भाषा के आधार पर इस देश का बंटवारा करने के लिए कमीशन बैठा तो हमने जनसंघ की तरफ से कोई मैमोरेंडम नहीं दिया क्योंकि हम इस भाषाई आधार पर देश के विभाजन के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते हैं । जब हम उस सिद्धान्त के ही विरुद्ध हैं, तो उस बारे में अच्छा या बुरा क्या कहते ? अगर हम इस सिद्धान्त की सपोर्ट में होते तो मैमोरेंडम देते और कुछ सुझाव देते लेकिन हम तो यह देश में अलगाव और विघठन पैदा करना चाहते ही नहीं हैं । हमारी समझ में सरकार की बात बिलकुल आती ही नहीं है क्योंकि वह देश के लिए अहितकर सिद्ध होगी ।

अब सरकार की नीति देखिये कि रेडियो पर पंजाबी के सूबे के बारे में उसी वक्त यह आ गया कि साहब पंजाब की जनता ने यह स्वीकार कर लिया है कि पंजाबी सूबा होना चाहिए । लेकिन मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हूं कि यह सिर्फ अकाली दल का निर्णय था, पंजाब की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था । मैं उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि जालन्धर के अन्दर करीब पांच लाख आदमियों के जनसमूह ने इस बात से इंकार किया है और साफ ऐलान किया है कि हम पंजाबी सूबे के बिल्कुल फेवर में नहीं हैं । हुआ यह है कि हमारी सरकार ने कुछ गिने चुने सफेद टोपी वालों का पकड़ लिया और उनसे हां में हां कहलवा लिया और झट से रेडियो पर प्रसारण कर दिया और अखबारों में निकाल दिया । यह बड़े अफसोस

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

की बात है कि सरकार ने इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया और धोखा दिया। दरअसल पंजाबी सूबे की मांग के पीछे जनता नहीं है, उसके पीछे सिर्फ अकाली हैं जो कि एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। सरकार ने यह नहीं सोचा है कि आखिर इस राज्य का क्या परिणाम होगा वह तो बस जैसे भी हो वोटों की फिराक में है भले ही वह देश के लिए अहितकर क्यों न हो। आज जब हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन की सेनायें तैनात हैं, बाह्य संकट विद्यमान है तब मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह पंजाबी सूबा बनाने की इतनी जल्दी क्या थी? इस तरह से उसने पंजाबी सूबा बनाने की घोषणा करके हिन्दू और सिक्खों के बीच एक दरार डाल दी। एक तरफ तो हमारी सरहदों के उस पार पाकिस्तानी सेनाएं जमा हो रही हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से हमारी सरकार हिन्दुओं और सिक्खों के बीच दरार डाल रही है। महज वोटों को प्राप्त करने के लिए सरकार देश को कमजोर कर रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसा करके एक गलत बात की गई है। यह पंजाब की निर्णय आज से कई साल पहले हो जाता लेकिन प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने इस बात का बिल्कुल नहीं माना क्योंकि श्री कैरों ने पंजाब के विभाजन के विरुद्ध अपनी ताकत लगाई और कहा कि अगर पंजाबी सूबा बन जायेगा तो देश छिन्न भिन्न हो जायेगा। उसने अपने डंडे के जोर के बल पर पंजाब को एक बनाये रक्खा और इस बात में श्री कैरों कामयाब रहे कि हिन्दू और सिक्खों में फूट न हो जाये।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि पंजाब में जब सरकार ने को यह पता था कि हमारे जवान हिन्दू और सिक्ख दोनों मिल कर लड़ रहे हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और ऐसे वक्त के ऊपर लिया जबकि हमारी सीमाओं पर संकट के बादल छा रहे हैं? कुछ स्वार्थी नेताओं के चक्कर में आकर और कुछ अपने वोटों के चक्कर में आकर सरकार ने यह जल्दबाजी की है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस जल्दबाजी के साथ देश का बंटवारा किया जायेगा तो यह देश छिन्न भिन्न हो जायगा। पहले गुजरात और महाराष्ट्र के सवाल थे। गोवा को अलग कर रक्खा है महाराष्ट्र गोवा को उसमें मिलाने की मांग कर रहा है तो उसे क्यों नहीं मिलाते हैं? इतनी जल्दबाजी आखिर आपने और मामलों में क्यों नहीं दिखाई? 370 धारा को कश्मीर के सम्बन्ध में हटाने के लिए सब ओर से मांग की गई लेकिन उसको हटाने सम्बन्धी निर्णय लेने में आपने जल्दी नहीं की लेकिन पंजाबी सूबे के निर्माण वाली बात में जल्दबाजी की। श्री रामकिशन रात को दिल्ली से लौट कर आते हैं और कहते हैं कि पंजाबी सूबा नहीं बनेगा और सवेरे पंजाबी सूबा बनाने का निर्णय हो जाता है तो मेरा कहना है कि इस तरह से रातोंरात निर्णय करके जनता को इस तरह से धोखे में रख कर ऐलान कर देते हैं कि पंजाबी सूबा बनेगा। यह इस सरकार की खास कमजोरी है कि वह इस तरह के एक, आध स्वार्थी नेताओं की बात में आ गई जिन्होंने कि यह कहा और दबाव डाला कि अगर पंजाबी सूबा नहीं बनाओगे तो वहां कांग्रेस चुनाव में हार जायगी जहां तक हरियाने वाले लोगों का सवाल है जहां वहां की जनता जब तक कि यह सरकार द्वारा पंजाबी सूबे के निर्माण की घोषणा नहीं हुई थी वह इसके विरुद्ध थी और वहां की जनता तो यहां तक कहती थी कि पंजाबी सूबा हम लोगों की लाशों पर बनेगा लेकिन जब सवेरे उसके निर्माण की घोषणा अखबारों में आई तो उनके चेहरे सुस्त पड़ गये और मैंने जब उनसे पूछा कि बोलो अब क्या कहना है तो कहने लगे कि अब करना क्या है हमको भी कुछ मिल जायेगा। लेकिन मेरा कहना है कि जो बंटवारे हो रहे हैं और राजनैतिक स्वार्थ काम

कर रहे हैं कि कोई सोचता है कि वह गवर्नर हो जायगा, कोई सोचता है कि वह मन्त्री या वहां पर मुख्य मन्त्री हो जायेगा तो यह पदों की लालच में आकर देश के हित को कुर्बान किया जा रहा है यह चीज देश के हित में बड़ी घातक सिद्ध होगी। आज हम सब को मिल-जुल कर चलना है। अगर इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे तो इस देश को कोई भी विदेशी शक्ति अपने अधीन कर सकती है और उसकी आजादी को हड़प कर सकती है। यह इस सरकार की एक कमजोरी और नासमझी का प्रमाण है जो उसने देश को और बांटना स्वीकार किया और यह पंजाबी सूबा बनाने का फैसला किया है। इतना कह कर मैं इस पंजाबी सूबे के निर्माण का विरोध करता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मसला श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पेश किया है मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक यह सवाल है बाउण्डरीज का या सीमा बांधने का उसका ताल्लुक यहां पर नहीं था। बहुत कुछ विवाद इस बात पर चल पड़ा कि 1961 का सैंसस ठीक है या नहीं है, सीमाएं इधर होनी चाहिएं या उधर होनी चाहिएं। मैं ऐसा मानता हूं कि वह विवाद विषय के लिहाज से अप्रासांगिक है क्योंकि वह विषय बाऊंडरी कमीशन के सामने है वह उसका निर्णय करेगा।

इतनी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट अपनी गवर्नमेंट ने किया वह बड़ी समझ के साथ किया है। जो लोग इस बात के विरोधी हैं कि 1961 के सैंसस का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, मान लीजिये कि 1961 में सैंसस का जिक्र नहीं होता और बाऊंडरी कमीशन बना दिया जाता तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता कि जो बाऊंडरी कमीशन के जैंजेज वहां पर बैठते तो कुदरती तौर पर, स्वाभाविक तौर पर कानूनी आदमी होने के नाते वह कहते कि क्या आधार है हमारे पास डैटा क्या है ? सैंसस निकालो यह गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है गवर्नमेंट के इस 61 के सैंसस के आधार पर हम निर्णय करेंगे। अब कोई कहते हैं कि यह सैंसस में गलत लिखवाया है तो वह कहते कि यह हम कुछ फालतू बात नहीं सुनते। यह गवर्नमेंट का पब्लिक डौक्युमेंट है हम तो इसके ऊपर निर्णय देंगे और वह उसके ऊपर निर्णय देते। गवर्नमेंट ने बड़ी समझ के साथ यह किया कि 61 के सैंसस का जिक्र किया लेकिन कहा कि दूसरे कंसिडरेशन भी देखे जायेंगे ताकि जो ऐतराज करते हैं 61 के सैंसस पर वह भी जाकर बाऊंडरी कमीशन के सामने ऐतराज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहां पर यह गलती है। सारे का सारा सैंसस गलत नहीं है लेकिन जहां गलती है उसको अगर कमीशन को बतलादें कि यहां पर गलती है तो कमीशन उस सूरत में अपना एक निर्णय कर लेगा लकिन अगर खाली 61 का सैंसस ही आधार होता और यह दूसरे कंसिडरेशन्स का जिक्र नहीं होता, बिल्कुल 61 के सैंसस के आधार पर ही होता तो फिर बाऊंडरी कमीशन के सामने और कोई रास्ता नहीं था कि वह इधर, उधर उसमें अन्तर कर सकता इसलिए यहां तो गवर्नमेंट ने उसके साथ अदर कंसिडरेशन का जिक्र कर दिया तो यह बिल्कुल उचित ही बात हुई।

शास्त्री जी ने एक बात जो यहां पर पेश की मैं समझता हूं कि इस में जो हमारे निर्णय हो चुके थे उसके बाद शास्त्री जी इस सवाल को न उठाते तो बेहतर था। आखिर यह निर्णय हुआ पंजाब का। जो कुछ यह निर्णय हुआ उसके बाद तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए था कि यह जो कुछ दलदल और जो कुछ मैला वहां के वातावरण में दोनों तरफ से आ गया था एजीटेशन आदि होने से, पंजाब के अन्दर ऐसी अवांछनीय बातें हुई कि वातावरण दूषित बन गया तो उचित तो यह था कि यह जो इतना मैल व कीचड़ सरफेस के ऊपर आगया था वह मिटटी और कीचड़

[श्री म० ना० विद्यालंकार]

झमझटी में बैठ जाती और वातावरण में इस तरह से सुधार आता ऐसा एक रवैय्या अपनाना चाहिए था, लेकिन अभी जो उनकी तरफ़ से कहा गया है उससे वातावरण सुधरने के बजाय खराब होने वाली बात है। मैं समझता हूं कि इस सवाल को इस समय छेड़ना, और फिर जिस ढंग से शास्त्री जी ने इसको छेड़ा, वह उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि शास्त्री जी राष्ट्रीय विचारों के हैं, लेकिन बात यह है कि वह पंजाब में नहीं रहते—पंजाब से जरा दूर रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, त्यागी जी के पड़ोस में रहते हैं। पता नहीं, शायद विशाल हरियाणा भी बने, तो त्यागी जी के देहरादून के साथ उनका बिजणोर भी उसमें शामिल हो जाये।

श्री त्यागी : क्या देहरादून भी छीनना चाहते हैं।

श्री म० ना० विद्यालंकार : नहीं, मैं देहरादून को छीनने के हक़ में नहीं हूं।

श्री त्यागी : अगर यू० पी० को कहीं मिलाना ही है, तो हम हरियाणा से मिलने के बजाय पंजाब से मिलना पसन्द करेंगे।

श्री म० ना० विद्यालंकार : पंजाब में जो साम्प्रदायिक आंधियां उठती हैं, उन का कुछ असर बाहर के लोगों की मनोवृति पर भी पड़ जाता है। शास्त्री जी ने दो बातें कहीं, जिन को सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति के राज की चर्चा की और कहा कि वह भाषावार प्रान्तों के मूल रूप से विरोधी हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि शास्त्री जी जैसा व्यक्ति जो लोकतंत्र का इतना समर्थक हो राष्ट्रपति के राज की बात करे। मैं उस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्यों कि मैं एक दूसरे प्रसंग में राष्ट्रपति के शासन के बारे में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। मैं राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने का सख्त विरोधी हूं।

जहां तक शास्त्री जी की इस बात का ताल्लुक है कि भाषावार प्रान्त नहीं होने चाहिये, एक प्रान्त में कई भाषाओं के लोग इकट्ठे मिल कर रहें, देश में बहुभाषी प्रान्त, मल्टीलिंग्वल स्टेट्स, हों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में मल्टीलिंग्वल स्टेट, बहुभाषी प्रान्त बनाया गया था। जिस समय यह निर्णय हुआ कि देश भर में सब प्रान्त भाषा के आधार पर बनाए जायें, उस समय पंजाब के बारे में यह निर्णय लागू नहीं किया गया। पंजाब के बारे में कहा गया कि उस को इकट्ठा रहना है, जिस पर झगड़ा हुआ। बाद में अकाली दल और सत्तारूढ़ दल में यह समझौता हुआ कि एक काम्प्रोमाइस के तौर पर एक तजुर्बा किया जाये, परिक्षण किया जाय कि आया पंजाब द्विभाषी प्रान्त रह सकता है या नहीं। उस समय सब ने इस बात को माना। लेकिन उस का विरोध किस ने किया आज शास्त्री जी चाहते हैं कि देश म बहुभाषी प्रान्त बने, लेकिन जब पंजाब को द्विभाषी प्रान्त बनाया गया और कहा गया कि इस का तजुर्बा किया जाये और वह तजुर्बा शुरू भी किया गया, तो विरोध किस की तरफ़ से हुआ? उस का विरोध इस रूप में किया गया कि पंजाब में हिन्दी एजीटेशन शु की गई और कहा गया कि पंजाबी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य न हो, हम पंजाबी भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं, पंजाबी भाषा को पंजाब के दोनों रिजन्ज में कहीं भी अनिवार्य न किया जाये, आदि। शास्त्री जी उस वक्त हिन्दी आन्दोलन के समर्थक थे। अगर बहुभाषी प्रान्त के तजुर्बे को कामयाब बनाना था, तो फिर हिन्दी एजीटेशन नहीं शुरू की जानी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खत्म करने का प्रयत्न करें।

श्री म० ना० विद्यालंकार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले कई माननीय सदस्य पंद्रह, बीस, पच्चीस मिनट तक बोले हैं। मैं

तो अभी अपनी बात भी कह नहीं पाया हूं। आप मुझे दस मिनट और दीजिए।

श्री हरि विष्णु कामत : इस चर्चा के लिये आध घंटा बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आध घंटा बढ़ा दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाये।

श्री अ० मा० विद्यालंकार : अगर आप पंजाब का इतिहास देखें, तो पता चलेगा कि वहां पर झगड़ा इसलिए शुरू हुआ कि जब यह फैसला हुआ कि वह एक बहुभाषी प्रान्त बने, तो उस का विरोध शुरू हो गया। उस का तजुर्बा ही नहीं करने दिया गया, बल्कि शुरू में ही उस का विरोध होने लगा।

आज मशोक साहब मानते हैं कि जो हिन्दी एजीटेशन हुआ था हम ने पहले जो रिजनल फारमूला नहीं माना, वह हमारी गलती थी। जब इस सवाल का निर्णय हो गया और गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया कि हम पंजाब में पंजाबी भाषा के आधार पर प्रान्त बनायेंगे, तो अब अशोक साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर रिजनल फारमूले को चलाया जाता, उसके मुताबिक काम किया जाता, तो बड़ा अच्छा था। मैं समझता हूं कि बुनियादी बात यह है कि अगर द्विभाषी प्रान्त को स्वीकार कर लिया जाता और उस तर्जूबे को कामयाब बनाया जाता तो वह स्थिति न पैदा होती।

पंजाब में जो साम्प्रदायिक बारूद इकट्ठा किया जाता रहा, उस की जिमेदारी किस पर है? जो अखबार और लोग वहां पर साम्प्रदायिकता का बारूद इकट्ठा करते रहे, वे आज कांग्रेस को दोष देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हालात होते हैं, राजनीतिज्ञ लोग उन में रास्ता निकालते हैं और उनके मुताबिक निर्णय करते हैं। चूंकि पंजाब व हालात और वातावरण को खराब कर दिया गया था, दूषित कर दिया गया था, इस लिए गवर्नमेंट ने उन हालात को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय किया है कि वहां पर दोनों तरफ जो बारूद जमा किया गया है, उस को अलग अलग कर दिया जाये। आज अगर ऐसा न किया जाये, तो इस का मतलब यह होगा कि वह बारूद फटेगा और उस सीमावर्ती प्रान्त में अशान्ति बनी रहेगी।

माननीय सदस्य कहते हैं कि यह घुटने-टेक और अदूरदर्शिता पूर्ण नीति है। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब जवाहर-लाल जी कहते थे कि सारा पंजाब एक पंजाबी प्रान्त है, तब भी वह कहते थे कि यह घुटने-टेक नीति है। जब सच्चर फारमूला बनाया गया जिस के अनुसार तमाम लोगों को हिन्दी और पंजाबी, दोनों भाषायें, पढ़नी थीं, तब भी कहा गया था कि यह एपीजमेंट की पालिसी है, अकालियों को एपीज़ किया जा रहा है। जब कहा गया कि लोग दोनों भाषा पढ़ें तब भी एपीजमेंट थी और जब यह कहा गया जा रहा है कि अलग अलग हो जायें, तब भी एपीजमेंट और घुटने-टेक पालिसी है। मैं समझता हूं कि दिमाग में यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं।

शास्त्री जी ने लिपि का सवाल भी उठाया है। मैं मानता हूं कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाये, इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किसी समय बंगाल में संस्कृत की किताबें बंगला लिपि में लिखी जाती थीं और कोई एतराज नहीं करता था लेकिन हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। शास्त्री जी कहते हैं कि नागरी और गुरुमुखी दोनों पंजाबी भाषा की लिपियां हैं। लेकिन आखिर गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? आखिर उस को किसी भाषा के साथ तो जोड़ेंगे। और फिर गुरुमुखी के प्रति इतना विरोध क्यों? किसी जमाने में पंजाब, सिन्ध और काश्मीर में

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

प्राचीन शारदा लिपि चलती थी। गुरुओं ने अपनी भाषा और अपनी लिपि को प्रचलित किया और उस लिपि को गुरुमुखी कहा गया, क्योंकि गुरुओं ने उस का प्रचार किया था। उस समय अरबी और फारसी का खूब प्रचार हो रहा था। उन से बचाने के लिये गुरुओं ने उस समय की प्रचलित शारदा लिपि को अपनाया और जारी किया। लेकिन आज माननीय सदस्य उस लिपि का विरोध करते हैं। वास्तव में उन को उस लिपि का एहसानमन्द होना चाहिये, क्योंकि उस वक्त अरबी और फारसी के सब तरफ फैल जाने का डर था। सिन्ध म अरबी प्रचलित हो गई थी। पंजाब और काश्मीर में भी अरबी लिपि प्रचलित हो जाती लेकिन गुरुमुखी ने बचा लिया। माननीय सदस्य आज उसी लिपि का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम पंजाबी को इस शर्त पर मातृभाषा मानेंगे कि उस की लिपि नागरी रहे और अगर उस की लिपि गुरुमुखी होगी, तो पंजाबी हमारी भाषा नहीं है। मुझे यह तर्क समझ में नहीं आता है और मैं समझता हूं कि यह तर्क बिल्कुल साम्प्रदायिकता पर आधारित है।

अन्त में मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह साम्प्रदायिकता की मनोवृति को प्रोत्साहन और प्रश्रय न दें। वह पंजाब को अराम और शान्ति से काम करने दें। पंजाब और हरियाणा अलग बने हैं। वह उन को शान्ति पूर्वक रहने दें और उनके जख्मों को ज्यादा कुरेदने की कोशिश न करें, बल्कि एक शान्त वातावरण में उन को चलने दें जैसा कि सन्त जी ने कहा है, जैसे सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे है, हिन्दुओं और सिक्खों और हिन्दी और पंजाबी के झगड़े को खत्म कर के ऐसा वतावरण पैदा किया जाना चाहिए जिस में पंजाब और हरियाणा शान्ति के साथ रह सकें।

अन्त में एक बात मैं गर्वनमेंट से कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि श्री त्रिवेदी ने कहा था या किसी और माननीय सदस्य ने कहा था, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि विभाजन के सम्बन्ध में तहसील को न तोड़ने की बात से मुश्किल पैदा होगीं। मैं जानता हूं कि मेरी कांस्टीट्युएन्सी में खरड़ तहसील है, जिस का कुछ भाग हिन्दी भाषी है और और कुछ भाग पंजाबी भाषी है। इसी प्रकार उना तहसील और गुरदासपुर और अम्बाला में कुछ तहसीले हैं, जिन के कुछ भाग हिन्दी भाषी हैं और कुछ भाग पंजाबी-भाषी हैं। मैं समझता हूं कि अगर विभाजन के सम्बन्ध में तहसीलों को तोड़ने की इजाजत न दी गई और गांवों के आधार पर विभाजन न किया गया, तो विभाजन में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायगी।

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Lohia.

Shri Virbhadra Singh (Mahasu): I want to make a submission.. ..

Mr. Deputy-Speaker: No more speaches.

Shri Virbhadra Singh: The Members from Himachal Pradesh who are vitally interested in this must be given a chance to speak.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कल और आज ऐसी इत्तिला मिली है, जो मैं इस माननीय सदन को देना चाहता हूं और जिस से हर भारत वासी को गुस्सा आयेगा और उस के रोंगटे खड़े हो जायेगें। इस माननीय सदन ने कई बार तेलगू सूबे, पंजाबी सूबे, मराठी और गुजराती सूबे पर बहस की है, लेकिन भारत देश की कुल कितनी जमीन है, जिस में ये सारे सूबे बनते हैं, उस पर बहस नहीं हुई है। यह बात सही है कि पाकिस्तान और चीन को लेकर कुछ एकड़ या मील जमीन इधर-उधर हो गई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह माननीय सदन भारत की कुल जमीन के बारे में सावधानी के साथ बातचीत करे। इसी सम्बन्ध में मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र

की 1950 की सालाना किताब से पढ़ कर सुनाता हूं यह यूनाइटेड नेशन्ज की 1950 की ईयर बुक है,जिसके सफा 1010 पर दिया है--

कि भारत का कुल क्षेत्रफल 31,62,454 वर्ग किलोमिटर है अब मैं उसी संयुक्त राष्ट्र की 1964 की सालाना किताब से पढ़कर सुनाता हूं, यानि 14 वर्ष बाद 1964 की किताब के सफा 579 पर भारत का क्षेत्रफल 30 लाख 46 हजार 232 किलोमिटर बताया गया है । अब ये दोनों उसी संस्था की किताबें हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय है, जिसका सदस्य भारत है और अगर दोनों क्षेत्रफल की तुलना करके घटाया जाय तो 1 लाख 22 हजार 222 वर्ग किलोमिटर जमीन भारत की गायब हो गई है ।

एक माननीय सदस्य : इस मोशन से इसका क्या ताल्लुक है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इससे क्या ताल्लुक है । पंजाबी सूबा इसी जमीन से बनता है और कहां से बनता है, बड़े शर्म की बात है ।

श्री त्यागी : यह फिगर्स जो आपने दी हैं, ये यूनाइटेड नेशन्ज की हैं, इण्डिया ने इनको तसलीम नहीं किया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस बात को कह कर त्यागी जी ने बहुत अच्छा किया । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । लेकिन आप मेहरबानी कर के सोचें कि ये जितने आकड़े यूनाइटेड नेशन्ज को दिये जाते हैं, ये कौन देता है । ये भारत सरकार दिया करती है और चूंकि भारत सरकार उसकी सदस्य है, अगर भारत के क्षेत्रफल के बारे में इतनी बड़ी गलती हुई है तो क्या सदस्य राष्ट्र को इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए ? 1 लाख 22 हजार वर्ग किलोमीटर कम हो गया, कहां चला गया ? अगर इस जमीन का चीन और पाकिस्तान से सम्बन्ध है तो मैं बताना चाहता हूं, अगर यह उनके कब्जे में चली गई है तो भी इस क्षेत्रफल को घटाया नहीं जा सकता ।

इतना ही नहीं, यह तो संयुक्त राष्ट्र की किताब में दिया गया है, मैं आपकी एक और खतरनाक बात बतलाना चाहता हूं, जो कि भारत सरकार की अपनी खुद की छपी हुई पुस्तक है और वह है सर्वे आफ इण्डिया । जिसमें सन् 1953 में 12 लाख 69 हजार 640 वर्ग मील हमारा क्षेत्रफल था । और 1964 में घट कर वह 12 लाख 61 हजार 597 वर्ग मील रह गया । भारत सरकार की तरफ से छपी हुई पुस्तक सर्वे आफ इण्डिया में 8,043 वर्गमील जमीन गायब हो गई । जमीन कहां चली गई ?

अगर किसी देश में ऐसा काम हो, जहां की जनता शक्तिशाली हो, तो वह सरकार एक मिनट के लिए भी नहीं ठहर सकती । इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद, इतनी बड़ी नालायकी करने के बाद कोई सरकार एक मिनट ठहर नहीं सकती । जब माननीय सदन पंजाबी सूबे वगैरह की बात करता है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि भारत देश का क्या हाल यह सरकार करती चली जा रही है ।

सूबों के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 14–15 सालों में मराठी सूबा, गुजराती सूबा, पंजाबी सूबा, न जाने कितने सूबे बने, किस लिये ? भाषा की उन्नति के लिए । तो मैं उन से साफ बात कहना चाहता हूं कि किसी भी सूबे में अंग्रेजी की तुलना में सूबे की भाषा की तरक्की नहीं हुई है । मराठी अंग्रेजी की तुलना में कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है । औरंगाबाद में मराठी थी, लेकिन आज अंग्रेजी हो गई है, और दूसरे सूबों की भी यही हालत है । इसी के साथ साथ अगर उन्नति की भी कसौटी पर आप रखना चाहते हैं तो इन सूबों में उन्नति के मामले

[राम मनोहर लोहिया]

में, खेती और कारखानों के मामले में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा है कि ये भाषावार प्राप्त प्रान्त सचमुच भाषावार प्रान्त बने हैं, क्योंकि भाषावार प्रान्तों के नाम पर वहां अंग्रेजी अभी तक कायम है।

इस के साथ साथ मैं इस सरकार की एक और महान असफलता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सूबे अगर बनाने की बात थी तो एक चोट में जितने उचित सूबे थे, सब बना देने चाहिए थे। सन् 1948-49 में ही बना देने चाहिए थे, महाराष्ट्र बना देना चाहिए था, गुजरात, विदर्भ, जितने भी बनाने थे, सब बना देने चाहिए थे। लेकिन सन् 1948-49 में वे सूबे नहीं बनाये गये और मामले को टाल दिया गया। पिछले 15 साल में भारतीय जनता के दिमाग के अन्दर इस कीड़े को उकसाया गया है और मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस ने उकसाया है, क्योंकि सरकार ने इस मसले को टाल कर इसी पर लोगों का ध्यान केन्द्रित रखा।

एक सवाल यह आता है कि हम जो विरोधी दल हैं, उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना ठीक नहीं जा पाता, जितना गलत प्रश्नों की तरफ चला जाता है। ये गलत प्रश्न या तो सरकार खुद उठाती है या कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिनको सरकार के अलावा दूसरे लोग उठा दिया करते हैं। विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाये जांय, गलत सवाल उठा दिये जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाय, लेकिन उस से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मैं अपने विरोधी दलों को दोष देना चाहता हूं कि वे हर सवाल का जवाब देने के लिए उतारू हो जाया करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें उन सवालों का जवाब देने के बजाय और बातों पर जाना चाहिये, जैसे अंग्रेजी आधा खत्म हो, उसकी तरफ जाना चाहिए, जिससे खेती और कारखानों में सुधार हो, उनको उस तरफ जाना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि विरोधी पहले तो कहते हैं कि महाराष्ट्र बनाओ, कांग्रेस सरकार कहती है कि नहीं बनायेंगे, 4-6 वर्ष लड़ाई चलती है, गोली भी चलती है, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, और फिर बाद में धीरे से कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र बना देती है और लोग खुश हो जाते हैं और फिर इससे कांग्रेस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिये ज्यादा अच्छा यही है कि अब तक जो हो गया, वह हो गया, विरोधी दल आइन्दा अनुचित सवालों पर अपना वक्त न खराब करें और मैं समझता हूं कि उन्हें उचित सवालों की तरफ जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बराबर ध्यान रखियेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तो हमेशा रखता हूं, लेकिन मुश्किल यही है कि आप लोगों को हटा नहीं पाया हूं, यही मेरी सब से बड़ी दिक्कत है। अगर विरोधी दल मान लेते तो अगले साल ही आप लोगों को हटाना सम्भव हो जाता, बल्कि उस से भी पहले।

अब जो मैंने बताया है, इस विषय को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, भारत के क्षेत्रफल के बारे में इस सत्र के खत्म होने से पहले तय करो, यह सत्र खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि यह जवाब न आजावे कि भारत की 1 लाख 22 हजार 222 वर्ग किलोमीटर जमीन कहां हड़पी गई, कहां समुद्र में डुबो दी गई।

मैं जब विरोधी दलों से कह रहा था कि सही सवाल पूछो, जो सवाल सरकार की तरफ से या दूसरे जो अगड़म-बगड़म दलों की तरफ से पूछे जाते हैं, उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। अणु बम बने या न बने उसका जवाब हमें देने की क्या जरूरत पड़ी

कोई सूबा बने या न बने इसका जवाब देने की हमें क्या जरूरत पड़ी ? एक जगह मैं गया । मुझे रास्ते में पड़ता था । मुझ से वहां यह मांग की गई कि विदर्भ सूबा बने । फिर मांडवाना सूबा बने यह मांग की गई । झाड़खण्ड सूबा बने यह मांग की गई, हरियाणा बने यह मांग की गई । मगर इस तरह की सब मांगों पर विरोधी दल वाले उलझ जायें तो इस में दो चार पांच बरस का और वक्त बरबाद हो जायगा और बरबाद होने पर हम फिर जहां थे वहां पहुंच जायेंगे । इस वास्ते यह जरूरी है कि विरोधी दल इस मामले पर सम्यक नीति बनायें । खास तौर पर जो मैंने सवाल उठाये हैं उन पर व ध्यान दें । एक सवाल तो मैंने यह उठाया है कि सही सवाल पुछवायें । गलत सवल पुछवाये जाते हैं तो जवाब देने से इन्कार करो । दूसरी बात यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में जरूर इस सरकार से कोई सफाई लेनी चाहिए । यह कोई बड़ा भारी रहस्य है । इतना बड़ा यह रहस्य है कि ये लोग अब इस लायक नहीं रह गये हैं कि उस गद्दी पर बैठें । ऐसा न हो कि यू० एन० के मामले में कोई जबर्दस्ती करने की जरूरत पड़े और सर्वे आफ इंडिया के मामले में कोई जबर्दस्ती करने की जरूरत पड़े ।

Some hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: We have already extended it by half an hour.

The Home Minister.

Shri Nanda: Just a few moments ago. I received a chit from the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that I should on this occasion speak in Hindi. I would have welcomed that very much. Imperfect Hindi such as I have, I would have tried to use it as the vehicle for conveying my thoughts now or on any other occasion. But on this occasion I am encountering and am confronted with a moral issue. I have been more than 40 years—about 40 years—in Gujrat. That is my adopted State. Still my mother-tongue is Punjabi. I cannot deny that and, therefore, if I start now departing from Punjabi, which I cannot use here now, I would prefer to speak whatever little I have to speak in English; and whatever I have to say is necessarily going to be very brief.

The discussion was around a statement I made on the 18th April. The discussion has cut across all party lines. Speakers whatever they said, were ranged against one another chiefly on regional interest. The whole basis of the contraversy was regional interest. They wanted to safeguard regional interests in each case.

Why was this discussion? It appears as if it was just to bring out this sharp divergence of viewpoints and it has—I must thank the hon. Member for it—provided justification for the line adopted by Government in dealing with the situation. Neither side is satisfied with the line Government has adopted and would like to draw it away nearer to its own position. This discussion must have brought conviction that the course adopted by Government was the only feasible course. It has vindicated the line that has been taken by Government in this matter. Any deviation from that one way or the other would meant departing from the just course.

What was the basis adopted in this statement of the 18th? It is very clear; it has been set out in very definite terms that when States have to be carved out of the existing Punjab, this has to be purely on the ground of language. It is the linguistic principle which is going to be applied. That is the fundamental basis of whatever processes are going to be carried out. Therefore, my appeal is; let nothing be done to cloud and obscure this central point.

[Shri Nanda]

It has nothing to do with any caste, community or religion. That does not enter into the consideration of the subject. To import any such considerations into this matter will be vitiating the whole process.

I may read from that statement—because that is the central point—that portion of the terms of reference:

> "The Commission shall examine the existing boundary of the Hindi and Punjabi regions of the present State of Punjab and recommend what adjustment, if any, are necessary in that boundary to secure the linguistic homogensity of the proposed Punjab and Hariana States. The Commission shall also indicate the boundaries of the hill areas of the present State of Punjab which are continguous to Himachal pradesh and have linguistic and cultural affinity with that territory"—

this is the relevant portion—

> "The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations".

what are the other relevant considerations? There has been a question raised about it. Shri D. D. Puri—who is not here at the moment—questioned the manner in which this has been worded. Why not only the 1961 census, he asked. The hon. Member, Shri Vidyalankar, has very properly dealt with that issue. There may be other considerations. If all these had not been set out in this language, it would have left it wide open for any kind of interpretations and led the matter to a different track. Shri Puri himself listed certain considerations about the university examinations, this and that it is not for us to decide what the considerations are, what the relevant considerations are, how much weight is to be attached to each consideration. It is for the Commission to do so. It has started functioning and I think it is not desirable for us to enter into these various aspects of the matter which are before the Commission. We should leave it at that.

A question was asked, why was any commission necessary? Several members have raised that question. Why not have the basis of the existing Punjabi and Hindi regions and introduce some small modifications? It is all right to put it like that. Exactly this is what has been said:

> "The Commission shall examine the existing boundary of the Hindi and Punjabi regions of the present State of Punjab and recommend what adjustments...."

What is the difference? This is what has been said here. But when we come to adjustments, they are minor adjustments. But a minor adjustment may mean the fate of the capital. Who should decide it? Naturally it has to be some kind of judicial examination and decision on the merits of the issue that can arise on one side or the other.

So this has been rightly done, that is, the appointment of the Commission, a high powered Commission composed of an eminent Judge of the Supreme Court and other competent members to deal with this matter. We should feel absolutely secure in the faith that justice will be done and that whatever the decision, it should be carried out in good faith and in the conviction that justice has been done, whatever may have been the views, prejudices or predilections of one side or the other.

Judging by the mind of Parliament, it appears that the reorganisation of Punjab on the lines of the statement will have soon become an accomplished fact. It does not appear to serve

any useful purpose or to yield any benefit to have entered into the merits, demerits, pros and cons of whatever has been done through the Parliamentary Committee and later on through the consideration which Government gave to the subject. What would have been the position today? Hon. Member Shri Prakash Vir Shastri in a very eloquent style vividly presented the past years through which this question came up time and again and yet division was averted. Why is it that we have been pushed into this? That is his question. I will submit, if the great leaders of those years who were at the helm of affairs in the past years had been present to deal with this matter, how would they have solved this question? Who can give the answer now with any certainty? But I can say this: don't we know that in the earlier years also momentous decisions were taken and then some time later, they were altered, and that is not to be considered as an indication of vacillation. We are here working, functioning in a democracy, in democratic conditions, and it is expected that as the tempo of public opinion changes, as circumstances alter, Parliament and Government have to respond, and therefore new adjustments must arise from time to time, and I may illustrate by a reference to the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri's own position. He started and in the course of his speech there was a radical shift. He launched a very, very strong attack on this division, and took a very uncompromising stand, and later on he softened and he almost gave a justification in the interests of Hariyana saying that they were living in conditions of oppression, and here it is that they can heave a sigh of relief. It may be that people of Hariyana did not feel so strongly about it earlier, they now felt their conditions were such that it would be better in their interests to have a State of their own. There may be various opinions, there may be other people, some people may still feel that what has happened is not to the best interests of this area or the other area or both areas; but here it is a large bulk of the people declaring their mind, and the thing has been settled on those lines.

May I also request the hon. Member to recall my first statement, i.e., of the 6th September. I remember, I recall very clearly, by the whole House, without a single dissent, without a single discordant note, there was acceptance of that, there was applause for the step then taken, including the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri. He endorsed it.

The second statement was made on the 23rd September. There again he says:

मैं इसका स्वागत करता हूं कि इस अवसर पर इसकी घोषणा की गई ।

So, that various steps which were taken from time to time were welcomed. That means that they met the real need, the need of the moment. We have to judge these things in the light of the conditions which arose, and it is not that we can have everything bothways. That is, there are advantages and disadvantages, we have to balance everything, and in the national interests all the considerations were taken into account, and these decisions were reached.

I recall also the fact that during this period, after the announcement of this decision and before that, there was very acute tension for some time at least in the Punjabi-speaking area particularly, and disturbances arose. We all feel sad about what happened, but I remember now that in my statement from the very beginning there was mention of a co-operative solution. The whole purpose was that we proceed in this matter in a way, on lines that we get a solution without landing ourselves into trouble of this kind. I realise that the Committee also, Members of Parliament, made efforts. I personally tried to do that, and in a way it may be said that because we tried to bring the parties together, although we did not achieve a co-operative solution in that

[Shri Nanda]

way, a perfect solution where the people could have, all the parties could have seen their way to have some kind of arrangement where a division might be avoided, but that very process, that very effort at least led to this result that, very unfortunate as those disturbances were, still we could come to some kind of a peaceful settlement very quickly and things are settling down.

I have talked of this not to revive those bitter memories, but I am thinking of this in my mind as a warning for the future. Both these States which are going to spring into being, come into being, have big tasks before them. The very process of division will have created problems and difficulties, and therefore in approaching those tasks, we must try to observe a certain restraint, and try to take every precaution that there is no embittering of feelings between the two areas and between various sections of the community in any one area. There are sections in Hariyana also, and there are sections in the Punjabi region, and it is very important, I am saying it deliberately, advisedly, that we have to make every effort in order to see and ensure that things proceed peacefully, amicably now in these processes and later on also.

One question has been raised about this, it is an indication of what the attitudes can be. Should we not have as many ways of collaboration as possible? If as a result of those practices we can secure economic advantages, if nothing else, there should be no such mind set against that, just as one of the hon. Members said, almost setting his face against anything which will have any common operation, any common link. I submit humbly this is not a very healthy attitude. There may be, there is the question of irrigation, the question of electricity, transport, various other things, whatever it may be; I do not say any particular thing should be done or must be done, it has to be a product of understanding, that attitude has to be that we want to live together, we are neighbours and we will work together in as many ways as possible, so that an atmosphere of harmony prevails. This is not only for these two new States, we have got zonal concils, even for the zonal councils we are trying to bring into being, to create new instruments where there is participation of the various States, so that advantages arise by common operation, and therefore I had to say it after listening to the hon. Member, Shri Siddhanti, who spoke a little while ago.

One more thing arising out of the speech of Shri Prakash Vir Shastri. We have to think of the future of the Punjab. I cannot help bringing up one question to which emphatic reference was made by Shri Prakash Vir Shastri in his speech. It is the statement and activities of Master Tara Singh. I wish to convey to him that there is enough trouble in this country, and he should not add his quota of trouble. Let him not make our task more difficult than it already is. The Punjab itself is going to have more problems in the way of its progress and any kind of a stage of uncertainty created there, strife, is going to hamper the progress of Punjab itself. Punjab needs unity and wise leadership.

Shri Hari Vishnu Kamath: The whole country needs it.

Shri Nanda: Because Punjab is going to be reorganised. The whole country needs it. But here there is going to be special problems and let the people of Punjab settle down to hard work. I am saying this in relation to some disturbing factors which are on the horizon now. The division of Punjab is going to create handicaps for both the future Punjab and Hariana. They will have to be overcome by great deal of effort. People's minds should not be distracted and disturbed by meaningless slogans and fruitless campaigns. This area needs unity and

strength because of the place it occupies as a sensitive border of this country. Anyone who creates weakness in this region by strife and dissension must be held to be disloyal to this country. I am speaking of those who talk a language which is not compatible with the total integrity and unity of this country and underestimates it one way or the other and dream of a status which is something different from the status everyone else has in this country, some kind of self-determination status. I cannot think, I cannot imagine of it. It is inconceivable: Let those who talk in those terms not place too much store on the tolerance of the people of this country. We do not want to have recourse to harsh measures, but we cannot also permit trifling with the national interests. I refer to some things which I think arise out of the speeches here which have a meaning for the future and for which it is necessary to give the reaction. I would make an appeal to the leaders there in the Punjab, especially I am speaking of Master Tara Singh, an old, venerable leader, I know him very well, I will make an appeal to him from the floor of this House: let Punjab now settle down, let not any new disturbing element enter into that state as a result of his activities; so far as I know, they are not desirable activities and therefore, let him become part and parcel of the stream altogether which will build up a new and strong Punjab.

There was one other thing about the future, and hon. Member Prakash Vir Shastri talked about that. He has in his mind the whole country to be divided into five parts. How can I say now, in the flow of time what will happen for this country? As long as things happen which are in the interest of the unity and strength of this nation, it does not matter. Conditions can change. But at the moment, we have somehow, wily-nily, for whatever it is worth, linguistic provinces now. Let us try to make the best of whatever arrangements have been brought into being in this country. There were various other questions about taking Delhi somewhere, bringing some other areas into Delhi. I have already stated, it does not arise. I believe hon. Members would like Delhi to be where it is.

Shri Tyagi: Cannot you give some relief by saying that about U.P. also?

Shri Nanda: We have definitely stated that the division of Punjab does not mean at all touching any other state for reorganisation. What may happen after a long time in the future, I cannot say.

Shri Tyagi: Only one question, if you permit me. Dr. Lohia has upset us by giving figures that our total area has diminished, according to UN figures, by more than a lakh square kilo metres. Of course the hon. Minister could not readily answer it. Will you kindly ask him to make the position clear before the House adjourns?

Shri Nanda: I shall make a note and I shall deal with it. But no one outside this country, no institution or body or organisation can make any change in the area of this country; it belongs to us.

डा० राम मनोहर लोहिया : भारत की अपनी किताब सर्वे आफ़ इण्डिया में 8 हजार वर्ग मील जमीन गायब हो गई, एक एक इंच जमीन के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन यहां 8 हजार वर्ग मील जमीन गायब हो गई, इस के लिए क्या किया ?

Mr. Deputy-Speaker: It is not relevant to this question.

Shri Tyagi: It is too shocking; it requires clarification.

Shri Nanda: We shall look into it immediately (*Interruptions.*)

Mr. Deputy-Speaker: He has promised that he would look into it.

श्री ओंकार लाल बेरवा : जमीन घट रही है, इन्सान बढ़ रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर): गृह मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

में अपना भाषण देते हुए, यहीं से अपने भाषण को प्रारम्भ किया कि मैंने उनको एक चिट लिख कर भेजी थी। जिसमें निवेदन किया था कि आज आप अपना भाषण हिन्दी में दें तो अच्छा होगा। गृह मंत्री जी ने इस बात को इतना महत्वपूर्ण समझा कि अपने भाषण का प्रारम्भ यहीं से किया। लेकिन मैंने उनको ऐसा लिखा तो कोई अपराध नहीं किया। इसका कारण यह था कि श्री जवाहरलाल नेहरू की हमेशा यह आदत रही कि जब भी कोई इस प्रकार की चर्चा होती थी, कि जिसमें अधिकांश सदस्य हिन्दी में बोलते थे

उपाध्यक्ष महोदय : आपका जवाब क्या है, वह बोल दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल उचित बात है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उसका उत्तर वह हिन्दी में देते थे, लेकिन कुछ सदस्यों के लिए जो हिन्दी नहीं समझते थे, वे बाद में अंग्रेजी में भी बोलते थे। मैं समझता था कि श्री नन्दा उसी पद्धति का अनुसरण करेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने और विशेष कर गृह मंत्री जी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि अब तो सरकार निर्णय कर ही चुकी है। अब इस समस्या को सदन में उठाने का विशेष अभिप्राय क्या है? मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार पर दोष लगाना चाहता हूं। पहले भी इस प्रकार पंजाब के विभाजन का प्रश्न आया था। जब एक बार संत फतह सिंह और एक बार मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया था। उस समय भी देश के सामने विषम स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उस समय की सरकार पार्लियामेंट को इतना महत्व देती थी कि सरकार अपना निर्णय पार्लियामेन्ट के सदस्यों की राय जानने के बाद घोषित करती थी। उस पर दो बार चर्चायें यहां हुईं और सरकार ने अपना विचार संसद् के माध्यम से देश को दिया। लेकिन आज की सरकार संसद् को इतना महत्व-हीन समझ बैठी है कि पंजाब के मामले पर जो पिछले 18 साल से बराबर यही कहती रही थी, कि उस का विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और कैबिनेट ने अलग बैठकर निर्णय कर लिया और पार्लियामेंट को विश्वास में लेना उचित या आवश्यक नहीं समझा। जब सीमा रेखा खींचने लगी उस के पहले भी सरकार ने पार्लियामेंट को विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझा। मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित कर देश के इतिहास में एक अध्याय जोड़ना चाहा था कि सरकार अपनी भूल को कम से कम अब तो सुधारे। पहले जिस पार्लियामेन्ट को विश्वास में लिये बिना इतने बड़े निर्णय नहीं लिये जाते थे अब इस मामले पर उसके प्रतिनिधियों की राय भी नहीं ली गई।

सरकार इस प्रस्ताव के माध्यम से इस भूल को सुधारेगी। इस आधार पर मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया था। साथ ही साथ यह भी चाहा था कि इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार जो अब तक असावधानी करती चली आई है आगे तो असावधानी नहीं करेगी।

जब श्री गुलजारी लाल नन्दा ने यह बात कही कि उस समय के जो नेता थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थीं? जिस पर वे पंजाब के विभाजन का विरोध करते थे। आज वे नेता होते तो क्या निर्णय लेते, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं श्री नन्दा से पूछता हूं और ज्ञानी जी से भी जो अपनी निजी वाकिफयत के आधार पर कहते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहरू कभी पंजाब के विभाजन के विरोधी नहीं थे। शायद यह उनकी निजी जानकारी है।

लेकिन मेरे हाथ में वह तथ्य हैं जो संत फतह सिंह के साथ तीन बार श्री जवाहरलाल नेहरू की बात हुई, और तीनों बार की वार्ता का विवरण जो उन्होंने सभा की मेज पर रखा। इस में कदम कदम पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द कहे हैं मैं उन्हीं शब्दों को उन्हीं की भाषा में पढ़ कर सुनाता हूं ।

प्रधान मंत्री जी ने संत जी को कहा

"दूसरी जगहों पर जहां भी भाषाई सूत्र का अनुसरण किया गया था, जैसा कि आंध्र और गुजरात तथा महाराष्ट्र में, अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं था । यह एक सर्वसम्मत मांग थी । दूसरी तरफ, पंजाब में हालत बिल्कुल भिन्न हैं और वैसी कोई सर्वसम्मति नहीं। यदि पंजाब में विभाजन किया जाए तो वहां शांति और स्थायित्व नहीं रहेगा और आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी ।"

इसके बाद 1 मार्च 1961 को हुई संत फतह सिंह और श्री नेहरू की मुलाकात में भी नेहरू ने स्पष्ट कहा था :

"पंजाब का विभाजन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि सिखों और हिन्दुओं के लिए भी हानिकारक होगा और वास्तव में यह सम्पूर्ण भारत के लिए हानिकारक होगा। यदि ऐसी सभी मांगें पूरी की जायें तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा और किसी भी प्रकार की तरक्की सम्भव नहीं हो सकेगी।"

इसके साथ ही मेरे पास श्री नेहरू का एक पत्र भी है जिस में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पंजाब विभाजन की मांग को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते ।

राजनीतिक नेताओं के अतिरिक्त भी भारत सरकार ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, तब उस के सामने भी पंजाब के विभाजन का प्रश्न उठाया था । राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 540 में उसने जो कुछ कहा था उसकी तीन चार पंक्तियां मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं । उस ने कहा था :

" प्रस्तावित राज्य से भाषा सम्बन्धी समस्या और साम्प्रदायिक समस्या का समाधान तो होगा नहीं और वह आन्तरिक तनाव जो साम्प्रदायिक दलों से है और भाषायी क्षेत्रीय दलों में नहीं दूर होने के बजाय वर्तमान भावनायें और बिगड़ जायेंगी ।"

15 hrs.

यह किसी राजनीतिक नेता की राय नहीं है बल्कि इस सरकार के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसकी राय है ।

इसके अतिरिक्त जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं और जिस से आज पंजाब और सारे देश को खेद है, वह यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय होने से पहले पंजाब के मुख्य मंत्री और पंजाब के गृह-मंत्री बराबर पंजाब में घूम घूम कर स्थान स्थान पर यह कह रहे थे कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा । कांग्रेस का इस मामले में स्पष्ट मत है कि पंजाब के टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं । इस निर्णय के बाद पंजाब के अन्दर कुछ हत्यायें हुई । मैं कभी हिंसा का समर्थक नहीं रहा हूं । और न अब हूं । पानीपत के अन्दर जिनकी ओर से भी वे घटनायें हुई हैं और तीन आदमियों को दुकान में बन्द कर के जलाया गया इसकी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मैं घोर निन्दा कर चुका हूं और अब भी करता हूं । लेकिन क्या श्री नन्दा इस बात को बतायेंगे कि उन तीन आदमियों के अतिरिक्त जो ग्यारह आदमी और पंजाब के अन्दर मरे क्या वे बिना मां बाप के थे ? और क्या आप उनको किसी तरह का कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते थे ? क्या आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था ? इन चौदह व्यक्तियों की हत्याओं का दोष भारत सरकार और पंजाब के मुख्य मंत्री और वहां के गृह मंत्री पर है । वहां के मुख्य मंत्री और गृह-मंत्री बराबर यह कहते फिरते रहे "कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा । अगर विभाजन करना था तो पंजाब की सरकार का यह कर्त्तव्य भी था कि वह पंजाब के लोगों का मन इसके लिए पहले तैयार करती ताकि इस प्रकार से एक दम आग न भड़कती और एकदम से इस प्रकार अपने भाग्य के सम्बन्ध में दूसरी खबर सुन कर उन में किसी प्रकार का तनाव न आता या किसी प्रकार का रोष न बढ़ता।

मैंने एक सुझाव रखा था कि भारतवर्ष को पांच भागों में विभक्त करके एक केन्द्रीय सरकार यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट जिस को कहते हैं वह यहां स्थापित की जाए एक मजबूत सरकार कायम की जाए इस तरह की मजबूत सरकार अगर बन जाए तो वह सारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है । श्री नन्दा ने इस के जवाब में कहा है कि कभी आगे चल कर इस प्रकार का समय आएगा तो शायद इस पर विचार हो सकता है। क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि उनकी सरकार ने भाषावार प्रान्त बनाने के बाद क्या इस बात का प्रायश्चित क्षेत्रीय परिषदें बना कर नहीं किया ? पंत जी ने जो सारे देश को पांच भागों में विभक्त किया तो क्या वह धीरे धीरे इसी रास्ते पर आना नहीं चाहते थे कि चार पांच राज्यों का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक हो जाए, न्यायपालिका एक हो जाए और इस प्रकार से चार पांच क्षेत्रों में जितनी अधिक से अधिक एकता हो सके वह स्थापित की जाए ।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार चीफ मिनिस्टर्स के चक्कर में आ कर इतनी झुकती और बढ़ती जा रही है कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय जो राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, उसकी बराबर उपेक्षा कर रही है ।

इस सब को कहने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कम से कम इतिहास इस बात को न लिखे कि जब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा था और देश के अन्दर खंड खंड होने की प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, उस समय हिन्दुस्तान में इस प्रकार का चिन्तन ही समाप्त हो गया था । सरकार को इसके बाद बारे में सावधान करने वाले व्यक्ति देश के अन्दर नहीं रहे थे ।

अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं । ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी मुसाफिर ने इसकी चर्चा की है । आपने भी शायद इसकी चर्चा की है । विशालाक्षर जी भी इसकी चर्चा करते थे । मैं स्पष्ट भाषा में कहता हूं कि मैंने जब उस दिन आपको उत्तर दिया था तो वह दबी हुई भाषा में नहीं दिया था । मैं मजबूती के साथ उसको दोहराता हूं मैं कभी इस बात का पक्षपाती नहीं रहा कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी न रहे या पंजाब में या अन्यत्र गुरुमुखी लिपि को समाप्त कर दिया जाए मेरा कहना यह है कि पंजाब के अन्दर अगर कोई आदमी देवनागरी लिपि में भी लिख कर एप्लीकेशन दे या उस के माध्यम से काम करना चाहे तो तथा कथित पंजाबी सूबे की सरकार उसको ऐसा करने की स्वतन्त्रता दे । उस पर यह बन्धन नहीं होना चाहिए कि वह उस में काम न कर सके । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज भी अगर

उत्तर प्रदेश में कोई उर्दू में लिख कर एप्लीकेशन कचहरियों में देता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी प्रकार का कोई उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है । अगर उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हो सकती है तो पंजाब में भी वह स्थिति रहनी चाहिये । यह मेरा स्पष्ट अभिप्राय था । इसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं . . .

श्री अ० ना० विद्यालंकार : बंगला, गुजराती आदि के लिए भी क्या आप इसको मानते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमारे विद्यालंकार जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं । यह मेरा निर्णय नहीं है । यह मुख्य मंत्रियों का सर्वसम्मत निर्णय है जिसको श्री जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था कि हर प्रान्त के अन्दर एक वैकल्पिक लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार कर ली जाए । बंगाली की अपनी लिपि सुरक्षित रहते हुए अगर देवनागरी में भी कोई बंगला को लिखना चाहे तो उसकी उसे स्वतंत्रता होनी चाहिये । यह निर्णय मुख्य मंत्री सर्वसम्मति से कर चुके हैं । इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

अन्त में दो बातें मैं कहना चाहता हूं । नन्दा जी ने या किसी सदस्य ने अगर मेरे तर्क का उत्तर दिया होता तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती कि अगर 1961 के आंकड़ों को आप झूठ मानते हैं और यह कहते हैं कि ये आंकड़े साम्प्रदायिक बहाव में आकर तैयार हुए तो आप बतायें कि जालंधर के अन्दर छः लाख हिन्दू जो रहते थे उन में से चार लाख ने ही हिन्दी क्यों लिखवाई ? दो लाख आदमियों ने क्यों अपनी भाषा पंजाबी लिखवाई ? सारे पंजाब के आंकड़े मेरे मित्र सिद्धान्ती जी ने दिये हैं कि सोलह लाख हिन्दुओं ने अपनी भाषा पंजाबी लिखाई । तब किस आधार पर आप कहते हैं कि साम्प्रदायिकता के प्रवाह में आकर भाषा लिखाई गई ?

1961 के आंकड़ों को आप छोड़ दें । पंजाब विश्वविद्यालय के आंकड़ों को आप लें । वहां पर 62 प्रतिशत बच्चे हिन्दी के माध्यम से बैठे । मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं में 73 प्रतिशत ने हिन्दी माध्यम को स्वीकार किया । जब ऐसी स्थिति है तो फिर जन गणना के आधार पर कैसे आप कहते हैं कि पंजाब के अन्दर हिन्दी का कोई क्षेत्र नहीं है या इसका कोई भविष्य नहीं है । दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब में जहां हिन्दी कभी राष्ट्रीयता का स देश ले कर गई थी विभाजन से पूर्व, आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण उसी हिन्दी को पंजाब के अन्दर एक साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है । जो एक राष्ट्रीयता का वाहन बन कर गई थी और राष्ट्रीय आन्दोलन की सहायक बन कर गई थी उसी हिन्दी के बारे में सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उसकी यह दुर्गति होती चली जा रही है ।

मैं चाहता हूं कि आगे के लिए आप सही निर्णय लें । मास्टर तारा सिंह से आपने अनुरोध किया है कि वह बनने वाले पंजाबी सूबे के वातावरण को न बिगाड़ें । मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ एक और निश्चय भी केन्द्रीय सरकार दृढ़ता से ले पंजाब से ही नहीं वरन् सारे हिन्दुस्तान से सम्बन्धित यह निर्णय लिया जाए । निर्णय यह लिया जाय कि कोई भी राजनीतिक आन्दोलन धर्म स्थानों में बैठकर नहीं चलाया जा सकेगा । क्या धर्म स्थान कोई दूसरे देश हैं कि वहां पुलिस नहीं जा सकती है । या सी० आई० डी० नहीं जा सकती है ? अगर आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया तो इसका परिणाम यह होगा कि कल को जितने भी तस्कर व्यापारी हैं वे सब धर्म स्थानों में जाकर शरण लेंगे, और वहां बैठकर गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़कायेंगे । सरकार ने अगर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आगे के लिए तो कम से कम वह इस बात पर निर्णय

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लें कि धर्मस्थानों का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ।

श्री नन्दा ने अगर इन बातों पर विचार नहीं किया है अभी तक तो अब करें ताकि आगे चल कर इस बात का सुधार किया जा सके । मैं आशा करता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देंगे

Mr. Deputy-Speaker: There is an amendment by Shri Siddhanti. I shall put it to the vote.

The amendment was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House takes not of the statement made in the House by the Minister of Home Affairs on the 18th April, 1966 regarding the reorganisation of the present state of Punjab."

The motion was adopted.

15.08 hrs.

ASIAN DEVELOPMENT BANK BILL

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I move:

"That the Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the Asian Development Bank and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker: Sir, this Bill as it stands is a relatively simple Bill. It provides mainly for two matters; the first, according to clouse 3 of the Bill, provides essentially for payment of share capital to the bank. These payments have been detailed in the Financial Memorandum covering the Bill. It is needless for me to add that before each payment is made, budgetary approval of Parliament will have to be sought and obtained.

The second is in regard to the extension in India of certain immunities, examptions and privileges relating to the Asian Development Bank, its officers and employees. These have been detailed in the schedule to the Bill. I may say that these immunities etc., are analogous to those enjoyed by other international financial institutions including the World Bank and the Regional Development Banks serving other parts of the world such as the Inter-American Development Bank and the African Development Bank.

While the Bill thus formally seeks to elecit specific concurrence of this House to the matters detailed therein, I am sure that Hon'ble Members would like to go beyond the Bill to the real subject-matter namely the Asian Development Bank itself. A copy of the Agreement detailing the structure, fuctions etc. of the proposed Bank has beeen supplied to each Hon'ble Member. The growth of international institutions that engage in ecnomic aid operations in developing countries on a multilateral basis has been a feature of the past ten years or so. The World Bank and its affiliates, which enjoy the status of being Specialised Agencies of the United Nations, have discharged a signal role in the financing of economic development in the newly emerging areas of the world over the past decade or so; similarly there have been the United Nations Special Fund and certain other activities of a multilateral international character that have greatly helped the development process. Yet, at the same time, there has come to be an awareness, and recognition, that there is a legitimate role for regional development banks through which countries contiguously situated in the under-developed areas of the world